पंचम माला, खंड 39, अंक 50, शनिवार, 4 मई, 1974/14 वैशाख, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol. XXXIX, No. 50, Saturday, May 4, 1974/Vaisakha 14, 1896 (Saka)

लोक सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[दसवाँ सत्र / Tenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 39 में अंक 41 से 50 तक है / Vol. XXXIX Contains Nos. 41 to 50]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

PARLIAMENT LIBRARY
No. B. 281 (7)
DATE 18.3.75

(यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।)

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 50, शनिवार, 4 मई, 1974/14 वैशाख 1896 (शक)

No. 50, Saturday, May 4, 1974/Vaisakha 14, 1836 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण (श्री सिद्रम रेड्डी)	Member Sworn— (Shri Sidram Reddy)	1
रेल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के बारे में	Re. Strike by Railway Employees	1—3
सदस्य की गिरफतारी और रिहाई	Arrest and Release of Member	3
(श्री गदाधर साहा)	(Shri Gadadhar Saha)	3
वित्तविधेयक, 1974	Finance Bill, 1974	3
बिचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	3
श्री नरेन्द्र कुमार सांधी	Shri N.K. Sanghi	3—5
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	6—8
श्री प्रताप सिंह नेगी	Shri Pratap Singh Negi	8—9
श्री तरुण गोगोई	Sri Tarun Gogi	9—10
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	10—12
प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof. S.L. Saksena	12—13
श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli	13—14
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	14—15
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	15—17
श्री एस० एम० बैनर्जी	Shri S.M. Banerjee	17—19
श्री एस० के० एम० इसहाक	Shri A.K.M. Ishaque	19—20
श्री के० सूर्य नारायण	Shri K. Suryanarayana	20—21
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Yeswantrao Chavan	21—24

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
खण्ड 2 से 25, अनुसूचियां और खण्ड ।	Clauses 2 to 25, the Schedules and Clause 1—	24—42
पारित करने का प्रस्ताव संशोधित रूप में	Motion to Pass, as amended	
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	43—44
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	44—45
श्री पी० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	45—46
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate	46—47
श्री अटलबिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	47
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	47—48
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shanker Dayal Singh	48
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Yeshwantrao Chavan	48—50

लोक-सभा

LOK SABHA

शनिवार, 4 मई, 1974/14 वैशाख, 1896 (शक)

Saturday, May 4, 1974/Vaisakha 14, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये

Mr. Speaker in the Chair

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

Member Sworn

रेल कर्मचारियों द्वारा हडताल के बारे में

Re: Strike by Railway Employees

श्री ज्योतिर्मय वसु (डायमण्ड हार्बर) : मैं सभा का ध्यान देश में व्याप्त स्थिति की ओर दिलाना चाहता हुं। देश आज फासिस्टों के हाथ में जा रहा है। गृह मंत्री वक्तव्य दें कि कितने लोगों को रेलवे हड़ताल के बारे में गिरफ्तार किया गया . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं। इस बारे में काफी चर्चा हो चुकी है और मंत्री ने भी इस बारे में वक्तव्य दे दिया है। मैं उन्हें प्रतिदिन वक्तव्य देने के लिये नहीं कह सकता। कृपा करके बैठ जायें। आप मेरी अनुमति के बिना नहीं बोल सकते . . . (**व्यवधान**) आप सब बैठ जाइये। आप इस तरह क्यों बोलते जा रहे हैं। कृपा करक बठ जाइये (**व्यवधान**)

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Can't we raise this issue if there is a new development (**Interruptions**) :

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : We have no objection if he speaks with your permission (**Interruptions**)

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : वे प्रक्रिया नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रतिदिन कार्यवाही में बाधा डालते रहते हैं. . . .(**व्यवधान**) पिछले एक सप्ताह से ऐसा ही करते आ रहे हैं (**व्यवधान**)

श्री **रधामीघन** (कुम्बकोणम्) : नई स्थिति पैदा हो गई है। जिस पर हम अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं।

श्री ए० के० एम० इसहाक (बशरिहाट) श्री सेझियान जैसे ज़िम्मेदार आदमी ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? . . . .(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : रेलवे हड़ताल पर स्थगन प्रस्ताव के दौरान चर्चा हो चुकी है।

श्री के लकप्पा : ये श्रमिक वर्ग में रूचि नहीं रखते और इसे समस्या बनाना चाहते हैं (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं इनसे अनुरोध करुंगा कि इस बात को मुझ पर छोड़ दें।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि क्या हमें समाचार पत्रों और रेडियो की खबरों के आधार पर रेल मंत्री अथवा प्रधान मंत्री से पूछने का कोई अधिकार नहीं है . . . . (व्यवधान)

क्या हम उन्हें इस बारे में वक्तव्य देने के लिये नहीं कह सकते ?

प्रधान मंत्री ने ईरान जाने से पहले मुख्यमंत्रियों को भेजे गये पत्रों में क्या लिखा ? प्रधान मंत्री प्रतिक्रियावादी तत्वों के हाथों में न खेलें . . . . .(**व्यवधान**)

Shri Narsingh Narain Pandey ( ) : Today's sitting is precisely for the Finance Bill.

रेल मंत्री ने अपनी बात स्पष्ट कह दी है। अब विपक्षी सदस्य क्यों इसे बारबार उठा रहें हैं?

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : सदन चाहता है कि हड़ताल किसी तरह टल जाये। जार्ज फर्नेन्डीज़ ने प्रधान मंत्री को लिखे गये एक पत्र में उनसे स्वयं हस्ताक्षेप करने का अनुरोध किया है और कहा है कि वे भी हड़ताल को टालने के पक्ष में हैं। मैं जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की इस पर क्या प्रतिक्रिया है . . . (**व्यवधान**)

Shri Atal Bihari Vajpayee : The other day the Railway Minister had stated that there can be no negotiated settlement till the strike notice is withdrawan

Mr. Speaker : This issue has been discussed in the House.

Shri Atal Bihari Vajpayee : It will continue to be raised till it is finally settled (**Interruption**)

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : श्री वाजपेयी ने कहा है कि कुछ नई स्थिति पैदा हो गयी है। किसी प्रकार की कोई नई स्थिति पदा नहीं हुई है। रेलवे ठीक तरह से काम कर रही है। इस पर अधिक चर्चा नहीं होनी चाहिये।

श्री श्यामनंदन मिश्र (बेगुसराय) : असंख्य गाड़ियां सरकार ने रद्द कर दी हैं और लोगों को बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार का यह कर्तव्य होना चाहिये कि स्थिति सुधारने अथवा बिगड़ने के बारे प्रतिदिन वक्तव्य दे।

हम चाहते हैं कि हजारों की संख्या में गिरफ्तार किये गए लोगों को तुरन्त रिहा किया जाए।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : वास्तविकता यह है कि अब एक नई स्थिति पैदा हो गयी है, जो आखिरी घड़ी तक नहीं थी। सदन को बताया जाना चाहिये कि सरकार ने अपना रवैया क्यों बदला।

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव के बारे में मैंने कहा था कि इसी प्रकार के विषय पर चर्चा हो चुकी है। मुझे तीन माननीय सदस्यों ने कहा है कि वे इस बारे में वक्तव्य ही चाहते हैं जिसके लिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं श्री रघुरमैया से पूछूंगा कि वे इस बारे में क्या कहना चाहते हैं।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री० के० रघुरमैया) : उचित समय पर इस सम्बन्ध में सूचना देना मंत्री महोदय पर छोड़ दिया जाना चाहिये . . . .**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब इस पर और अधिक चर्चा नहीं होनी चाहिये।

सदस्य की गिरिफतारी और रिहाई

Re : Arrest and Release of Member

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचना देता हूं कि मुझे पुलिस अधीक्षक, बीरभूम (पश्चिम बंगाल) से दिनांक 3 मई, 1974 को एक बेतार संदेश मिला है जिसमें यह सूचित किया गया है कि 3 मई, 1974 को प्रात:काल नल्हाटी थाना के प्रभारी अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिये नल्हाटी थाना क्षेत्र के एक स्थान पर गए। उस स्थान पर अनेक व्यक्ति पाये गए। उनमें से कुछेक व्यक्तियों ने उस समय अपना परिचय नहीं दिया। अत: उन सबको पूछताछ के लिये और उनका परिचाय प्राप्त करने के लिये नल्हाटी थाना लाया गया। नल्हाटी थाना पर यह पता लगा कि इन व्यक्तियों में श्री गदाधर साहा, सदस्य, लोक-सभा भी थे। श्री साहा को 3 मई, 1974 को 7.00 बजे व्यकितगत मुचलके पर रिहा किया गया।

वित विधेयक—जारी

Finance Bill 1974—contd.

अध्यक्ष महोदय : अब हम वित्त विधेयक पर चर्चा पुन: आरम्भ करते हैं।

श्री नरेन्द्रकुमार सांधी (जालोर) : मैं वर्ष 1974-75 के विधेयक का समर्थन करता हूं इस वर्ष का बजट वित्त मंत्री द्वारा गत दो वर्षों के दौरान पेश किये गये बजट से सबसे अच्छा बजट है। इस वर्ष के बजट का स्वागत सभी वर्गों के लोगों ने किया है।

इन बजट प्रस्तावों में मूलभूत अंतर इस बात में रहा है कि अधिकतम आयकर दर 97.5 प्रतिशत से घटाकर 77 प्रतिशत कर दी गई है। इसलिये उच्च आय वर्ग के लोगों में 23 प्रतिशत की बचत हुई है और इससे बहुत वांछित राहत मिली है। इस राहत से इस समय की अपेक्षा उत्पादन और अधिक बढ़न में मदद मिलेगी।

आयकर विभाग में अक्तूबर, 1968 में एक मूल्यांकन अनुभाग खोला गया था इस मूल्यांकन अनुभाग की स्थापना इस उद्देश्य से की गई कि सम्पतियों का मूल्यांकन सही ढंग से किया जाये और इसे निर्धारिती द्वारा अपनी सम्पत्ति कर विवरणी में लिखा जाये और उसका उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना था कि जब वे नई इमारतें बनायें तब इसका मूल्यांकन सही किया जाये। किन्तु जब सरकार कहती है कि 400.34 लाख रुपये कम आंका गया है तो सरकार उचित मानदण्ड का प्रयोग नहीं कर रही है। सरकार को सम्पत्तयों के मूल्यांकन, विशेषकर भूमि के मूल्यांकन के सम्बन्ध में, कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने चाहिये।

जहां तक 1786 मामलों में आयकर अधिनियम की धारा 296–घ के अधीन अर्जन के लिये जारी किए गए नोटिसों का सम्बन्ध है, इन अर्जन कार्यवाहियों में मूल बात यह है कि इन मामलों को शीघ्र निपटाया जाना चाहिये। आयकर, न्यायाधिकरण की तरह एक न्यायाधिकरण बनाया जाये जिसमें कुछ मूल्यांककों और इंजीनियरों सहित एक न्यायिक सदस्य भी हो। ताकि ये मामले शीघ्र निपटाये जायें और सम्पत्ति का अर्जन शीघ्रातिशीघ्र किया जाये।

सितम्बर, 1972 के उपदान अधिनियम में हमने 15 दिन के वेतन की दर से अनेक वर्षों तक, जितने वर्ष तक किसी व्यक्ति ने काम किया है कतिपय धनराशि के भुगतान का उपबन्ध किया है। अधिनयम पास होने के बाद उपदान के भुगतान के लिये एक कोष बनाया जाये। किन्तु कानून के अन्तर्गत बनाये गये इस कोष को आज व्यय के मामले में अनुमति नहीं दी जा रही है। इस मामले को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिये। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपने अधिकारियों को इस बारे में समुचित परिपत्र और मार्गदर्शन जारी करने की जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है कि क्या कानून के अन्तर्गत बनाये गये उपदानकोष की अनुमति दी जानी चाहिये या नहीं ?

आयकर छूट की राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी गई है। उच्चतम कर सीमा अभी घटाकर 77 प्रतिशत कर दी गई है। 5,000 रुपये और 6,000 रुपये के बीच 110 रुपये की धनराशि कर के रूप में देय है। मंत्री महोदय सुनिश्चित करें कि 110 रुपये की कटौती का लाभ कम से कम उन करदाताओं को भी मिलना चाहिये जो 6,000 रुपये और 12,500 रुपये क बीच के खंड में आते हैं।

वांचू समिति ने अन्य सिफारिशों के साथ यह सिफारिश भी की है कि सभी कम्पनियों पर 55 प्रतिशत तक एक सी दर होनी चाहिये। समिति मनोरंजन व्यय की अस्वीकृति से असहमत है। इस सिफारिश को भी लागू किया जाना चाहिये।

गैर-योजना व्यम से उत्पन्न मुद्रास्फीति सम्बन्धी दबाव के बारे में हम अधिक उतेजित हुए हैं। यात्रा भत्ता में 10 प्रतिशत की कटौती होनी चाहिये। अल्प उपयोगी, जिनका निर्माण कुर्सी के स्तर से आगे नहीं बढ़ा है, का निर्माण बन्द करना चाहिये। पैट्रोल, टेलिफोन काल आदि आदि पर बचत होनी चाहिये। सरकारी उपक्रमों में कम से कम घाटा होना चाहिये और सभी मंत्रालय में कुल बचत 5 प्रतिशत होनी चाहिये।

सरकारी कर्मचारियों को गृह-निर्माण ऋण देना बन्द करने का प्रस्ताव है। सरकारी कर्मचारियों को यह गृह निर्माण ऋण देना बन्द करके मितव्ययिता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को अब तक जिस प्रकार ऋण दिया जाता रहा है, उसी प्रकार दिया जाता रहना चाहियें।

हम यह भी जानना चाहते हैं कि वर्ष 1973-74 में 400 करोड़ रुपये में से वस्तुत: कितनी बचत की गई है। लन्दन, पेरिस, न्यूयार्क, मास्को, वार्सा और बेलग्रेड स्थित हमारे राजनयिक मिशनों में वर्ष 1972-73 में 292.20 लाख रुपये की धनराशि खर्च की गई।

हमारे देश के विदेश स्थित मिशनों के व्यय में 20 प्रतिशत मितव्ययिता की जानी चाहिये। इस प्रकार बची विदेशी मुद्रा का उपयोग तेल और खाद्यान आदि के आयात के लिये किया जा सकता है।

वर्तमान कानून के अनुसार समयोपरि भत्ते का भुगतान दूनी दर पर करना पडता है। जीवन बीमा निगम और अन्य कई संस्थानों में कर्मचारी दो तीन घंटे ही काम करते हैं और ओवर टाईम मिलने पर ही काम करते हैं। जीवन निगम बीमा ने वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 में क्रमश: 67 लाख रुपये, 91 लाख रुपये और 102 लाख रुपये ओवर टाईम के रूप में अदा किये। रक्षा प्रतिष्ठानों में उक्त सालों के दौरान क्रमश: 863 लाख रुपये, 1155 लाख रुपये और 2,266 लाख रुपये ओवर टाईम के रूप में अदा किये गये। इसी प्रकार केन्द्रीय सचिवालय और राष्ट्रीय राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अदा किये जाने वाले ओवर टाईम की राशि में भी पिछले तीन सालों में भारी वृद्धि हुई। ओवर टाईम को दुगनी दर पर अदा करने के बजाय सामान्य दर पर अदा करने के लिये कानूनबनाया जाना चाहिये और सरकार की ओवर टाईम नीति रोजगारोन्मुख होनी चाहिये।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद ऋण प्राप्त करने के लिये ब्याज की दर 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दी गई है। इससे उत्पादन और लागत व्यय में बढ़ौतरी होगी।

ऋण प्रतिबन्ध लगाने के पीछे कोई तर्क शक्ति होनी चाहिये। ऋण प्राप्त करने की किसी व्यक्ति की कुल सीमा में कुछ प्रतिशत की कमी की जा सकती है। ऋण प्राप्ति की कुल सीमा में से 10 से 20 प्रतिशत तक की कमी की जानी चाहिये।

हमें सरकार को इस बात के लिये बधाई देनी चाहिये कि 1380 करोड़ रुपये की धनराशि प्रत्यक्ष करों के रूप में प्राप्त हुई। जो बजट आंकड़ों से 188 करोड़ रुपये अधिक है। लोक सभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया कि 1200 मामले वर्ष 1922 के पुराने आयकर अधिनियम के अधीन पिछले तीस पैंतीस साल से विचाराधीन पड़े हैं। इन मामलों के बारे में शीघ्र निपटान किया जाना चाहिए।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटड ने अभी हाल में एक लाख रुपये प्रति माह के किराये पर एक इमारत ली है और उसके कार्यालय में मुश्किल से 15 आदमी काम कर रहे हैं। इस प्रकार के बेकार के व्यय पर रोक लगायी जानी चाहिए।

वर्ष 1974-75 के बजट प्रस्तावों से निश्चित रूप से एक स्वस्थ अर्थ-व्यवस्था के निर्माण में योगदान मिलेगा। विरोधी पार्टियों को हमें प्रभावी समर्थन देना चाहिये, जिससे हम देश का पुरी गति से आर्थिक विकास कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) · In 1971, Shri Chavan had stated while presenting the Interim Budget that he had larger social objective before him and there was the need to redistribute incomes and wealth by suitable changes in the fiscal system on this basis he had raised rates of personal income tax from 82·5 per cent to 93·5 per cent. He had also said thatfthe task of widening and deepening the resources base demands that the rates of direct taxes be further increased and he had further raised rates of personal income tax from 93·5 per cent to 97·75 percent. Now in the present Budget proposals, the ceiling has been brought down to 77 per cent. It seems that there is no definite thinking or ideology behind the Economic policy of the Government. If it was essential to raise the rates of income tax at that time, how is it necessary to reduce it now ? The exemption would t give a benefit of Rs. 60 crores to the rich, whereas a burden of Rs. 9 to 10 crores has been imposed on the people belonging to higher income group. If creation of black money and tax evasion has to be stopped, the direct taxes should be further reduced.

Last year, when Government had decided to take over trade in foodgrains, we had warned the Government that there would be serious consequences of this step, but we were termed reactionery at that time. Now the Government herself has relinquished the idea. Shri Malviya, the newly appointed Minister had stated, while addressing a meeting in Lucknow that if coal mines are handed over to the private owners, it would be done over my dead body. Why should the question of nationalisation be linked with the personal feeling of a particular person ?

On 27th of March, Shri C. Subramaniam had said that the Government was considering some sort of control over the private sector without affecting the industrial production or national wealth. If it is the policy of the Government to take over the industries, now could this reversion of take over in foodgrains be reconciled with that policy. The interests of the producers as well as the consumers are not being safeguarded and the public distribution system is also being narrowed down. On 23rd of April, Shri Ganesh had stated that if forced, the Government would resort to control of prices and distribution of essential commodities. I do not know to what extent they want to be forced to the wall.

The Government wants to check the growth of monopolies and wants to have a control over big industrial houses. The Mahalanobis Committee was set up to study the question of distribution of income and wealth. Thereafter Monopolies Enquiry Commission was set up. The Hazari Report was also submitted to the Government. The Parliament had also passed the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act. From June, 1970 to March, 1973, 63 cases were referred to the commission and it did not rejected even a single case. In the meantime, the Government issued 1552 industrial licences and 2330 Letters of intent, which include licences issued to the big houses also.

The Licensing Policy Enquiry Committee had stated in 1969 that the Licensing System, as it is actually worked, could not ensure the development of industries mainly according to Plan Priority. The Licensing system failed

to prevent the growth of capacity in less essential industries and could not ensure the creation of capacity in the more essential industries. It is true in the year 1974. The seven Brothers of Bombay complain that they do have begetable but sufficient number of containers are not available. Steel is being exported by our Government and it is being imported as well. There is a strike in the D.C.M. Chemicals works, Delhi and strike has been thrust upon that works by a trade union affiliated to the ruling party. I would like to know from the governments as to what is its definite policy towards the monopoly houses ? There is contradiction in the policy of having a control over monopoly houses and Licensing Policy. The government is pursuing a policy of hocism and economy of the country is not being developed on a long term basis.

It is the need of the hour to have a fixcal discipline in the centre as well as in the States. There is a deficit of Rs. 193 crores in the budgets of 16 States. The Punjab Government drew an over draft of Rs. 37 crores, where as there was a ceiling of Rs. 9 crores. Now the Reserve Bank is asking them to pay back. the money.

The Government says that the position of Balance of payment is good and there has been an increase in the export trade. I fail to understand, then why the government had drawn a sum of Rs. 60 crores from the I.M.F. and a sum of Rs. 32 crores has been obtained against the gold deposits there.

We talk of doing away with the foreign aid after some time, but for the year 1973-74, a sum of Rs. 1172 crores has been authorised, which is more than Rs. 1113 crores of foreign aid authorised for the year 1966-67. It has been stated in the world Banks' meeting held in Paris that India will stillhave to import grain in the coming years and will not be able to dispense with foreign aid by 1980 as its leaders believe.

Our scientists have been developing new technology, but our manufacturing units are being allowed to have a foreign collaboration in the field of technology. There is no department in any Ministry to ensure a co-ordination between the research laboratories and the industries, so that industries could make use of the technology developed by our scientists.

We could have earned a huge amount of foreign exchange by exporting our sugar, when price of sugar was prevailing at the rate of 300 pounds per ton, but there was a controversy between S.T.C. and the Ministry of Agriculture as to who would be exporting it. Later on we exported 43,000 tons of sugar at a rate of 210 pounds per ton. Why is there no department in the Centre to solve quickly the dispute between various Ministries/Departmets.

There is world-wide oil crisis, we did not make adequate efforts for the oil exploration. The drilling operations of oil wells are going on near Jaisalmer, but it is a matter of surprise and shock that the workers are on strike since 10th of April, because the shift system has been revised. One of the wells

has been drilled to a depth of 1,300 metres and it has been made pucca upto a depth of 300 metres. It is feared that if rest of the well is not made pucca the well may be destroyed.

It seems that there is no inspiration, no thinking, no ideology behind the Government. Only co-ordination of the fear of losing the power and deriving the results of the power has been forcing them to combine as a group. I would like to know whether the country would be led to an state of anarchy or there would be a balanced revolution, which would lead to such a change wherein individual would have a freedom and have a chance for gaining the prosperity.

Shri Pratap Singh Negi (Garhwal): I rise to support the Finance Bill. If we want to bring about an improvment in our economy, we would have to raise our character and conduct to a higher level. There is corruption throughout the country, there are strikes and public property like railway wagons, buildings and factories. We are the most selfish peop'e these days. We make workers as our tools to achieve political ends and instigate them to go on strikes. Ignoring the need for development of the country. We should be united in our efforts to develop the country. I admit that there has been a rise in prices, but it is a world-wide phenomenon. It is also a fact that comparatively there has been more price rise in our country, but instead of guiding us or telling us our mistakes, the opposition is instigating the workers to go on strikes, which is also one of the reasons for price-rise.

I come from an area where there is only half a kilometre of railway line. There are no means of communications. People have to go two to three miles to bring drinking water. More than 2,50,000 people from hilly areas in Delhi are finding it difficult even to get a job. They are living in Jhuggis in Delhi, where basic amenities of life like electricity, drinking water and flush latrines are not provided.

I come from an area bordering Tibet. If adequate attention is not provided towards their problems, China may instigate these starving and poor people. I would, therefore, request that special attention should be paid for the development of this area. Small Hydro-electric power projects should be set up there so that we could be self-sufficient in the matter of electricity. The poor people there could open small industries there and thus it would help remove unemployment.

If places of tourist interest are developed and means of communications are adequately provided, the flowers' valley could attract tourists from all over the world and lakhs of rupees could be earned as foreign exchange. Gangotri should be developed. An aerodrome could be constructed at Dudhatoli. If Dronagiri is developed, it could be a Switzerland within India. A Bharat Nagar could be set up at the birth place of Bharat, on whose name, our country is called "Bharat". The schemes for the hilly areas remain only on papers, and people are not benefited from them.

There are huge stocks of cement stones in our area, but it is not being utilised. Huge deposits of Uranium have been located at Pokhari of District Chamoli, but no survey was undertaken so far. Tatas were allowed to set up a Magnasite factory in this area, but workers were recruited at Jamshedpur and local people were not benefited from the setting up of this factory. I, therefore, request that due attention should be paid to the hilly areas.

श्री तरुण गोगोई (जोरहाट): इस समय देश अभूतपूर्व आर्थिक संकट में से गुजर रहा है और इस संकट का समाधान करने के लिए सरकार में दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और सारे राष्ट्र को इस संकट के समाधान में एक जुट होकर प्रयास करना चाहिए।

इस समय अत्यधिक मुद्रा स्फीति और अत्यधिक महँगाई है। यह सच है कि महँगाई की समस्या विश्वव्यापी है, परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार ने गलतियां नहीं की हैं। योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री मोहन धारिया ने स्वयं स्वीकार किया है कि नीति के क्रियान्वयन में सरकार ने उदासीनता दिखाई है।

यह एक चिन्ता की बात है कि सामान उपलब्ध नहीं होता और काले बाजार में ही चीजें मिलती हैं। इस अभाव की स्थिति में कुछ लोग गरीब और दलित जनता की तकलीफों से फायदा उठाकर अनाप शनाप धन अर्जित कर रहे हैं। चोर बाजारियां, जमाखोरों और मुनाफाखोरों के साथ कठोर कार्यवाही करने में सरकार अत्यधिक विफल रही है।

गरीबी और बेरोजगारी की दो बड़ी चुनौतियाँ सरकार के सामने हैं। 1968–69 में 40.6 रु० से नीचे गरीबी के स्तर को रखा गया था और उस समय 40 प्रतिशत जनता अर्थात 24 करोड़ लोग गरीबी के स्तर से नीचे थे। हर साल 20 प्रतिशत की दर से मुद्रा स्फीति में वृद्धि हुई है और अब गरीबी का स्तर 50 रु० तक पहुंच गया होगा। देश की 50 प्रतिशत जनता गरीबी के स्तर से नीचे जीवन यापन कर रही है। खाद्यान और कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में भी गिरावट आई है। वर्ष 1961 में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता 14.06 औंस थी, जो 1970 में घट कर 13.91 औंस रह गई। 1961 में प्रति व्यक्ति कपड़े की उपलब्धता 14.70 मीटर थी, जो वर्ष 1973 में घटकर 13.6 मीटर ही रह गई।

रोजगार दफ्तरों में अस्सी लाख व्यक्तियों का नाम दर्ज है और प्रतिदिन 10,000 व्यक्ति अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं। पांचवी योजना के अन्त तक 2 करोड़ बेरोजगार नवयुवक रोजगार के लिए तरस रहे होंगें। जनशक्ति को बेकार जाय करना एक राष्ट्रीय क्षति है।

देश में खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुओं की कमी है और विलासिता तथा अर्ध विलासिता की सप्लाई में वृद्धि हो रही है। पिछले तीन साल से खाद्यान्न गेहूं अथवा चावल, खाद्य तेल अथवा शिशु आहार का उत्पादन लगभग स्थिर रहा है और एयर कन्डीशनरों और एयर कूलरों जैसे विलासित के सामान का उत्पादन दुगना हो गया है।

देश के 90 प्रतिशत छात्र निर्धन परिवारों से आते है और खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की उंची कीमतों का उन पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair

पुस्तकों की उंची कीमतों का भी उनपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। छात्रों को खाद्यान्न और पुस्तकें उचित मूल्य पर उपलब्ध की जानी चाहिए।

सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और बैंकों से बड़े व्यापार गृहों, मुनाफाखोरों और एकाधिकारियों को ही सब से अधिक फायदा हुआ है। इन संस्थानों का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन लाना और गरीब तथा मध्यम वर्ग की सहायता करना। पूर्वी क्षेत्र में स्टेट बैंक में एक ऐसे व्यक्ति को निदेशक नियुक्त किया गया है, जिस पर बैंक का 20 लाख रुपया चरण के रूप में बकाया है। नियम के अनुसार जिस पर एक लाख रुपये की राशी चरण के रूप में बकाया है, वह बैंक का निदेशक नियुक्त नहीं हो सकता।

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का कूटनीतिक महत्व है। इस क्षेत्र में विशाल प्राकृतिक और खनिज संसाधन हैं। ब्रिटिश शासन में इस क्षेत्र की अपेक्षा की गई और स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भी इस क्षेत्र की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। सरकार पांचवी योजना में धनराशि के निपतन में इसे अन्य क्षेत्रों के बराबर दर्जा दे रही है।

आसाम विदेशी मुद्रा के रुप में राष्ट्रीय राजकोष में काफी योगदान करता है। चाय उत्पादन के मामले में इसका सर्वोच्च स्थान है। तेल और अशोधित्तयतेल उत्पादन के मामले में इसका दूसरा प्रमुख स्थान है। कोयले और अन्य खनिज संसाधनों के आसाम में भण्डार हैं, परन्तु फिर भी आसाम आर्थिक वा औद्योगिक विकास नहीं कर सका है।

यह कहा जाता है कि आधार भूत ढ़ांचे और उद्यम सम्बन्धी दक्षता के अभाव के कारण आसाम विकास नहीं कर सका है आधारभूत ढ़ांचे का निर्माण करना तो केन्द्रीय सरकार का दायित्व है, चौथी योजना में आसाम में एक भी इंच रेल लाइन का निर्माण नहीं किया गया।

आसाम को ब्रहमपुत्र नदी विभाजित करती और उस नदी पर केवल एक पुल है। कम से कम तीन पुल वहां होने चाहिए थे। सारे भारत में सबसे भीषण बाढ़ इसी क्षेत्र में आती है। इस समस्या का समाधान करना सरकार के बस की बात नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने अनेक अवसरों पर इस बारे में विधेयक पेश करने का आश्वासन दिया है।

सिंचाई सुविधाओं की स्थिति बड़ी निराशाजनक है। विद्युतीकरण के सम्बन्ध में हमारे 21,000 गांवों में से केवल 11,00 गांवों में बिजली लगाई गई है।

हमारे राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में एक भी रेल लाइन नहीं है। देश के अन्यभागों के पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइने नहीं है। सरकार को पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये समय कार्यक्रम बनाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का सामर्थन करता हूं।

श्री श्यामनंदन मिश्र बेगुसराय : बजट का मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी तथा आयोजन आवश्यक्ताओं से कोई सम्बन्ध नहीं दीख पड़ता है। इसका सामाजिक न्याय और सामाजिक उत्थान से भी बहुत कम सम्बन्ध दीखता है। सरकार ने स्वंय स्वीकार किया है कि उसकी नीतियों का प्रभाव उन समस्याओं

पर नहीं पड़ा है जिनका कि राष्ट्र आज सामना कर रहा है। सरकारन अपनी नीतियों में कुछ परि वर्तन किये है। पहला परिवर्तन यह किया गया है कि जनरल मोटर्स को हिन्दुस्तान मोटर्स में एक तिहाई शेयर रखने की अनुमति दी है। ट्यूबों और टायरों से कन्ट्रोल हटा दिया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले तीन वर्षों में विदेशी सहायता की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है। गेहूं की व्यापार नीति भी बदल दी गई है। इन नीतियों से सदन को ज्ञान हो जायगा की सरकार की आर्थिक नीति किस ओर जा रही है।

जब तक सरकार वर्तमान आर्थिक स्थिती को भारत पाकिस्तान युद्ध का परिणाम बताती रहेगी, गत दो वर्षों में अच्छी फसल न होने तेल सकट तक आयातित मुद्रास्फीति का परिणाम बताती रहेगी तब तक सरकार देश की आर्थिक स्थिति का अर्थिक मूल्याकन नहीं कर सकेगी। ऐसी बातें करने से इस स्थिति का कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता।

देश के आर्थिक संकट का मूल क्या है। मेरे विचार से देश का आर्थिक संकट आयोजन के परित्याग के कारण है आयोजन गत नौ वर्षों से ढपा पड़ा है। आयोजन का परित्याग कर देने के कारण ही आज देश में विभिन्न प्रकार की कमियां तथा अनकों अन्य समस्या पैदा हो गई हैं। सत्ता रुढ़ दल द्वारा 1969 में काले धन की राजनीति अपनाये जाने के कारण भी आर्थिक स्थिति बिगड़ी है अत: सतारूढ़ दल देश में आर्थिक अनुशासन नहीं ला सकती। हमारी आर्थिक व्यवस्था गत नौवर्षों में शन: शन: बिगड़ी है।

सरकार ने पूंजीनिवेश को हतोत्साहित किया है। वर्ष 1965-66 से कोई उल्लेखनीय पूंजी-निवेश नहीं किया गया है। इस अवधि में राष्ट्रीय आय में 25, 26 प्रतिशत वृद्धि हूई है परन्तु मुद्रा प्रसार में 143 प्रतिशत वृद्धि हुई है। क्या अर्थव्यवस्था इस प्रकार का भार वहन कर सकती है। गत तीन वर्षों में स्थिति और अधिक बिगड़ी है। इन गत तीन वर्षों में राष्ट्रीयआम में 17 प्रतिशत वृद्धि हुई और मुद्रा सप्लाई में 54 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

उपलब्ध संसाधनों का गलत ढंग से उपभोग किया गया है। क्योंकि यें ससाधन आयोजन तक देश के विकास से सम्बन्ध नहीं रहे हैं। 27 संसाधनों को देश के विकास तथा आयोजन से सम्बद्ध किया गया होता तो स्थिति दूसरी ही होती। संसाधनों को सरकार तक गैर सरकारी दोनोंक्षेत्रों के गैर विकास कारी कामों में लगाए गए। यदि काले धन को समाप्त करना है तो केन्द्रीय मंत्रीमंडल के कुछ मंत्रियों का विमुद्रीकरण करना होगा और कालाधन नियंत्रित हो जायेगा। जो मंत्री अपने दल के लिये आंधाधुंध धन इक्ठा कर रहे है, उन्हें मंत्रीमंडल से अलग किया जाना चाहिये। राज्य सरकारों में भी भ्रष्ट मंत्री रखने के लिये केन्द्रीय नेता ही जिम्मदार हैं।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि विरोधीदल तोड़-फोड़ की नीति अपना रहे हैं। किन्तु यदि विरोधी दल कोई आन्दोलन कर रहे हैं तो वे भ्रष्टाचार की राजनीति के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं। पर क्या प्रधानमंत्री ने कभी यह बात स्पष्ट की है कि वह विरोधी दलों से किन दिशाओं में सहयोग चाहतीं ह। क्या गुजरात आन्दोलन के समय विपक्ष का सहयोग मांगा गया। सत्ताधारी दल को विपक्ष से सहयोग मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मैं अपने दल की ओर से अपने दल का सहयोग देने का आश्वासन देता हूं। आज जग मूल्य इतने अधिक बढ़ रह हैं तब भी क्या आप चाहते हैं कि विपक्ष सरकार का साथ दें।

एक वर्ष में 29 प्रतिशत मूल्यवृद्धि हो रही है। इन परिस्थितियों में विपक्ष से क्या आशा की जाती है। आज देश में आर्थिक स्थिति ही नहीं बिगड़ रही है अपितू देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था भी खतरे में है।

कराधान ढांचे के संबंध में इस कराधान ढांचे के अति और कोई ढांचा समाज विरोधी नहीं हो सकता। भारत सरकार के एक भूतपुर्व आर्थिक सलाहकार ने भी कहा है कि गरीब कर्ल्क या कलाकार को, जो इस मुद्रास्थिति में से प्रभावित है, करों की दर में कमी किये जाने से कोई लाभ नहीं होगा किन्तु 10 लाख रुपये की वैयक्तिक आय वाले धनी उद्योगपति को इससे लगभग डेढ़ लाख रुपये तक का लाभ पहुंचेगा। क्या यह प्रगतिशील कदम है या सामाजिक उत्थान है? मुद्रास्थिति की स्थिति में अभाव और मूल्य वृद्धि से धनीवर्ग को ही लाभ पहंचता है। कराधान नीति तटस्थ नहीं है यह जनविरोधी है क्योंकि इसका झुकाव धनीवर्ग के लोगों की ओर है। क्या कारण है कि अप्रत्यक्ष करों की जांच करने के लिये कोई समिति नियुक्त नहीं की जाती है। अब समय आ गया है जबकि अप्रत्यक्ष करों की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये। अप्रत्यक्ष करों से उत्पादन में गतिरोध आ जाता है।

इस बजट में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को त्याग दिया गया है। भारत सरकार भारत सहायता सार्थसंध से क्या कहती है? सरकार लोगों से कह रही है कि वे आत्मनिर्भरता उपलब्ध की ओर बढ़ रहे है। सार्थसंघ से सरकार कह रही है कि भारत को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत अधिक धनराशि चाहिये। निर्यात नीति में भी आत्मनिभरता के उद्देश्य को ध्यान में रखाजाना चाहिये। अब सरकार अधिक मदद जुटाने की दिशा में प्रयत्नशील है न कि आत्मनिभरता का उद्देश्य पूरा करने में।

इस वित्त विधेयक से ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी जिससे इस बजट को वास्तविक बजट समझना कठिन होगा और संकट इतना गंभीर होने जा रहा है कि वास्तविक बजट बाद में लाना पड़ेगा यह बजट अब निरर्थक सिद्ध हो चुका है संकट वस्तुतः आर्थिक नहीं है, अपितु राजनतिक है।

प्रो. एस. एल सक्सेन (महाराजगंज) : स्वतंत्र सेनानियों को पेंशन देने के बारे में सरकार ने कहा है कि 31 मार्च, 1974 के पश्चात् किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकार की योजना का पता नहीं है और वे अपना अभ्यावेदन भेजने के लिये प्रतीक्षा कर रहे हैं। किन्तु इसके लिये समय सीमा निर्धारित कर ली गई है और अब किसी के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जा सकता। इसके लिये समय सीमा निर्धारित करने की क्या आवश्यकता है? सरकार का यह कर्तब्य है कि वह स्वतंत्रता सेनानियों का पता लगाए और जब किसी स्वतंत्रता सेनानी को इस योजना का पता चले तो उसे अपनी अभ्यावेदन भेजने की अनुमति दी जानी चाहिये।

एक स्वतंत्रता सेनानी को 200 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। मंहगाई के इन दिनों में इस राशि से गुजारा करना बड़ा कठिन है। यह राशि बढ़ाकर 300 रुपये मासिक की जानी चाहिये किसी स्वतंत्रती सेनानी के विधवा को भी उतनी ही पेंशन दी जानी चाहिये। जितनी कि स्वतंत्रती

सेनानी को दी जाती है। जब स्वतन्त्रता सेनानी का देहान्त हो जाये तो उसके पश्चात पेंशन उसके बच्चों को दी जानी चाहिये। स्वतंत्रता सेनानी को जो पेंशन राज्य सरकार से मिलती है, वह अलग समझी जानी चाहिये।

सरकार उन्हीं को पेंशन देती है जिन्होंने 6 महीने की कैद भुगती है। किन्तु उनका क्या होगा जो भाग गये और जिन्होंने बहुत सी यातनाएं भोगी हैं। उन्हें पैंशन नहीं दी जाती है। उनके साथ रहने वाले लोगों द्वारा दिये गये प्रमाणपत्र को स्वीकार किया जाना चाहिये। और उन्हें पेंशन दी जानी चाहिये।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। लोगों को तेल उपलब्ध कराया जाना चाहिये। गावों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। मिट्टी का तेल जलाकर ही लोग प्रकाश करते हैं। प्रकाश न होने से लोगों को गांवों में पाये जाने वाले सर्पों आदि से क्षति पहुंच सकती है।

सीमेंट तथा उर्वरक बाजार में बिल्कुल नहीं मिलते हैं। सीमेंन्ट और उर्वरक दुगने तिगुन मूल्य देकर उपलब्ध किये जा सकते हैं। इन वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रण में रखा जाना चाहिये। अन्यथा लोगों में बड़ा असंतोष फैल जायगा।

सरकार ने बताया है कि वे भूमिहीन कृषकों को भूमि का आवंटन कर रहे हैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई ऐसे भूमिपति हैं जिनके पास 2000 एकड़ तक भूमि है, जबकि निर्धन लोगों को 5 या 10 एकड़ भूमि भी उपलब्ध नहीं है। भूमि का समुचि वितरण किया जाना चाहिये। जिन जाली तरीकों से ये लोग इतनी आधिक भूमि अपनी पास रखे हुये हैं, उनका पता लगाया जाना चाहिये और फालतू भूमि का अवशय वितरण किया जाना चाहिये।

Shri Paripoornanand Painuli (Tehri-Garhwal): Sir, At present our economy is facing a crisis, we are passing through transitional phase. In these circumstances the hon. Finance Minister's effort, as evident from this budget, are commendable.

Sir, seven percent of our total economy is being controlled by our 32 or 33 families only. These families are being given huge assistance by way of development rebate. Last year these industrialists have been given Rs. 35 crores as development rebate. There is a more to continue this rebate. If such things continue we can not achieve our plan targets. We are required to have a political will to in order to progressively advance towards our objectives.

There is no coordination between various ministries of the Government and the present set up is such that no responsibility can be fixed on any officer for any failure on the part of Government.

To day much is said about educated unemployed persons, and the educated unemployed can be termed as mis-educated unemployed. The present system of education is most defective. It is responsible for creating unemployment that we find today. The Education should be made a Central subject.

I want to suggest that in view of the disparity in wages and pay structure in the various departments of Government, a permanent Commission should be appointed to look into this problem and bring about uniformity in this respect, otherwise there would be greater discontentment among the employees.

Now, I want to draw the attention of the House towards regional imbalances. In fact the policy of the Central Government is to give priority to richer States as compared to backward and weaker States in the matter of giving assistance. For example, Uttar Pradesh is one of States in India with the lowest per capita income. Out of 55 districts in Uttar Pradesh, 33 were backward. Most of these backward districts are located in the northern region, Bundelkhand region and the eastern part of Uttar Pradesh. I would make a special reference to the miserable condition of the northern districts of Uttar Pradesh.

Most of the regions there are so backward and remote that they are not accessible even by road. The economic and social conditions of the people there are extremely miserable. There are no industries, as there are no roads and other means of transport etc. Although minerals and forest wealth is available in abundance in these region, all this wealth has to be transferred to plains to be exploited. Dairy farming is one such industry, because of its being labour intensive, can suit our hilly area. Attention should also be given to tourism. There was a news in the newspapers that 50,000 pilgrims have been stranded are unable to move to Badrinath and Kedarnath due to non-availability of transport. I would, therefore, suggest that the forest and mineral based industries should be established there, so that the people may be able to get employment in them and their economic may be improved. In addition to it special attention should be given to Soil Conservation programme. So as to provide jobs to the people and to save them from the floods.

Some years ago an assurance was given by the Minister of Industrial Development that a Cement factory would be established at Kalsi in Dehradun district where there are good desposits of rock phosphate. But till today even no provision has been made in Fifth Plan. A Fertilizer factory can also be set up there. I would suggest that steps should be taken to establish the factory by giving it top priority where the local rock phosphate should be utilised.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : रलवे हड़ताल के सम्बन्ध में, अनेक लोगों का यह विश्वास है कि सरकार इस का कोई समाधान ढूंढना नहीं चाहती है ।

यह बात ठीक है कि तेल के मूल्यों में वृद्धि हो जाने से हमें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, किन्तु विश्व भर में सब से अधिक कोयला भारत में उपलब्ध है यद्यपि कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है और इन का नियंत्रण सरकार के हाथ में है, तथापि हम अपने कोयले का प्रबन्ध नहीं कर पाते ।

मैं पहले भी बता चुका हूं कि अमरीका में 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति से वहां प्रत्येक व्यक्ति चिन्तित हो उठा था और उसे एक गम्भीर आर्थिक संकट समझने लगा था। किन्तु यहां 30 तथा 40 प्रतिशत मुद्रास्फीति हो जाने से भी कोई चिन्तित नहीं है। मैं सभा को यह चेतावनी देता हूं कि अगामी वर्ष हमारे पड़ोस में 50 से 100 प्रतिशत मुद्रास्फीति हो जायेगी।

बजट और वित्त विधेयक के बारे में मैंने जो सुझाव दिया था कि आयकर की छूट की सीमा को बढ़ा दिया जाये। मैं यह चाहता हूं कि इस छूट सीमा को बढ़ाकर 12,000 रूपये कर दिया जाये। यदि इस सीमा को 15,000 रूपये कर दिया जायेगा, तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं सरकार का ध्यान अध्यापकों तथा पैंशनरों की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। इन्हें सब से कम मिलता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

चोरबाजारी करने वालों के बारे में यहां बहुत कुछ कहा गया है। किन्तु मुंद्रा तथा मोरारका के मामले में क्या किया गया ?

वर्तमान आर्थिक संकट को दूर करने के लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सरकारी क्षेत्रों में निर्धारित अवधि में व्यावसायिक स्तर पर कुलतापूर्ण कार्य सम्पादन होना चाहिये : यदि इनमें ऐसा नहीं किया जाता, तो ऐसे कारखाने को बन्द कर दिया जाये, ताकि करदाता को इस असहाय भार से बचाया जा सके।

कर अपवचन को रोकने के लिये प्रत्यक्ष एंव अप्रत्यक्ष करो में भारी कमी की जाये इससे मूल्य नीचे गिरेंगे, उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेगें।

रूपये के प्रचालन को बढ़ाया जाये तथा उसका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मूल्य को भी बढ़ाया जायें।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, रेलों, बनरोपण, ग्रामीण विद्युती करण, लघु सिंचाई, बन्धो की रूप रेखा आदि जैसे आधारभूत कार्यों से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सभी उपलब्ध संसाधनों को लगाया जाये।

हमारी शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह बदला जाये, ताकि यह अधिक अर्थपूर्ण, अधिक रोजगार प्रधान और किसी विशेष समय में देश में उपलब्ध विज्ञान और प्रौदयोगिकी पर आधारित की जा सके। यदि इन सुझावो के अनुसार काम किया जाये। तो मुझे आशा है कि दो वर्षों के भीतर ही भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी सुधार दिखाई देने लगेगा।

श्री चिन्ता मनि पानिग्रही : (भुवनेश्वर) : भारत की अर्थव्यवस्था इतनी अधिक खराब है कि यह हम सब के लिये गम्भीर तथा गहन चिन्ता का मामला बन गया ह।

हम अपने राज्य तथा देश के सामाजिक पारिवर्तन के सब से अधिक कठिन चरण से गुजर रहे है और हम वर्तमान समस्याओं के प्रति नकरात्मक दृष्टिकोण अपना कर इस कठिन, चरण से पार नही हो सकते। मैं यह महसूस करता हूं कि हम देश के लोग इन कठिन समस्याओं का सामना कर सकते है। जो इस समय हमारे देश के सामनें है।

चीन में 1948 से पूर्व आज के भारत से भी स्थिति अधिक खराब थी, किन्तु चीनी जनता, नेता और दल के दृढ़ संकल्प से वहां तीन या चार वर्षों के थोड़े समय में सभी कठिनाइयों को हल कर लिया गया । जब मैंने 1951 में चीन की यात्रा की थी, तो मैंने देखा कि किस प्रकार वहां लाखों लोग कठिन परिश्रम कर रहे थे और वे अपने कठिन और सामूहिक श्रम से अपनी पूंजी बना रहे है । तथा वे सप्लाई और मांग के परम्परागत अर्थिक सिद्धान्तों का अनुसरण नही कर रहें है । आज भारत में वर्तमान कठिनाईयों को परम्परागत आर्थिक तरीकों द्वारा हल नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी नई अर्थव्यवस्था लाने का प्रयास किया है । मुझे आशा है कि भारत में गांधी जी के दृष्टिकोण अपनी सहायता तथा सेवा करने के उनके कार्यक्रम से एक नयी सांस्कृतिक क्रांन्ति लायेंगे, ताकि सभी समस्याओं का समाधान किया जा सके ।

वर्तमान आर्थिक कठिनाईयों को उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किये बिना दूर नही किया जा सकता । हमारी वर्तमान आर्थिक कठिनायां इस लिये बढ़ी हैं क्योंकि हमारा खाद्य उत्पादन कम हो गया है इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा सिफति बढ़ी है । मेरा सुझाव है कि यदि हम इन समस्याओं को हल करना चाहते हैं, तो हमें अवश्य गांधी वादी उपाय करने होंगे । उन्होंने पहले ही इस की कल्पना कर ली थी कि यदि पश्चिमी तरीके की उपभोक्ता अर्थव्यवस्था पर इतना अधिक निर्भर रहने से हमें इस प्रकार के संकट का सामना करना पड़ेगा ।

हाल ही में मैं उड़ीसा में अपने क्षेत्र के कई ग्रामों में गया था। वहां मूझे गरीब आदिवासी लोग, जिनमें महिलायें भी थी, मुझे मिले और कहने लगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 25 वर्षों के पश्चात भी हम, नियंत्रित मूल्यों पर साड़ी, चीनी, अथवा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं को खरीदने में समर्थ नहीं हैं । इन वस्तुओं को नगरीय नौकरशाही ने हड़प कर लिया है । हम ने देखा है कि नगरीय नौकरशाही जनसाधारण के लिये उत्पादित सभी उत्पादों को हड़प करती जा रही है । इसलिये नौकरशाही और 80 प्रतिशत ग्रामवासियों में झड़प होने वाली है । मैं आशा करता कि हमारा दल और सरकार लोगों को सही प्रकार का नेतृत्व प्रदान करेंगे ताकि 80 प्रतिशत जनता 10 प्रतिशत नौकरशाही के विरुद्ध अपनी लड़ाई में सफल हो सके ।

अतः इस समय आवश्यक बात यह है कि 35–50 ग्रामों का ग्रुप बना दिया जाये जो स्थानीय तथा क्षेत्रीय रूप से आत्मनिर्भर हों और वहां पर अत्यावश्यक वस्तुयें कपड़ा, औद्योगिक कच्चे उत्पाद और उपभोक्ता माल आदि उपलब्ध हों इस आधार पर उत्पादन का चरण बद्ध ढ़ंग से अवश्य ही विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिये ।

मैंने खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आदिवासी लोगों के लिये साड़ियों और धोतियों की व्यवस्था करते देखा है । सरकार को चाहिये कि यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग को और सक्रिय बनाया जाये । ग्राम अर्थव्यवस्था को नया रूप दिया जाये जिससे यह अत्यावश्यक वस्तुओं के मामले में नगरीय नौकरशाही पर निर्भर न रहें । मैं सरकार से अपील हूँ करता कि हमें अन्य देशों से अधिक ऋण नहीं लेना चाहिये । राष्ट्रियकृत बैंकों से ऋण द्वारा परिसम्पतियों में वृद्धि नहीं हो सकती । कठिन सामूहिक श्रम से परिसम्पतियों को बनाया जा सकता है । पांचवी योजना में हमें इसका प्रयास करना चाहिये और यह भी निश्चित करना चाहिये कि सभी लोग इस में भाग लें ।

छात्रों ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी है । उनके सामने एक सकारात्मक कार्यक्रम रखा जाना चाहिये । वे भी देशभक्त लोग हैं । यदि उनके सामने कोई सकारात्मक कार्यक्रम रख दिया जाता है, तो हम भी भाग लेंगे और यह महसूस करने लगेंगे कि देश में एक सांस्कृतिक क्रांति आ गयी है जिस के द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि उन सभी लोगों को हटा दिया जाना चाहिये जो देश की प्रगति में बाधक बन हुए हैं । हमें उस सांस्कृतिक क्रांति को 1974 में पूरा करना है जो 1967 में आरम्भ हुई थी । तब हम यह देखेंगे कि देश में कोई गड़बड़ न हो और यहां कठिनाइयां पैदा न हों । उसके लिये कांग्रेस दल और सरकार को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिये कि यह सफलतापूर्वक पूरी हो जाये ।

मैं एक और बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम आत्मनिर्भरता के मार्ग से हटते जा रहे हैं । ग्रामों में साधारण व्यक्ति को एक किलो चीनी अथवा धोती जैसी कोई अन्य अत्यावश्यक वस्तु नहीं मिल पाती है । वह यह भी देखता है कि नगरों में सभी वस्तुओं की बिक्री की जाती है । मेरे विचार में यदि आप इस समस्या का समाधान करने में समर्थ नहीं हो पाते है तो जन साधारण को और अधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा ।

मैं अंत में मंत्री महोदय का ध्यान गोपालपुर में मछली पत्तन परियोजना, पारादीप शिपयार्ड तथा माल डिब्बों की कमी की ओर दिलाना चाहता हूं । मेरा अनुरोध है कि सरकार इन बातों की ओर तुरन्त ध्यान दे ।

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) : मैं वित्त विधेयक का विरोध करता हूं । यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार 27 वर्षों में वस्तुओं के मूल्यों को कम नहीं कर सकी ।

आज आम उपभोग की वस्तुओं के दाम 25 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक बढ़ गये हैं । पहले वस्तुएं बाजार से गायब हो जातीं हैं जब उनके मूल्यों में वृद्धि होती जाती है तो वे बाजांर में आजाती हैं । पता नहीं सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ।

रेल हड़ताल के पीछे राजनीतिक उद्देश्य बताये गये हैं । खेद है, स्वयं प्रधानमंत्री ने भी मुख्य मंत्रियों को लिखे गये पत्रों में इस हड़ताल को राजनीतिक बताया है । इसमें राजनीति क्या है ? रेलवे कर्मचारियों की दो मुख्य मांगे हैं, बोनस के बारे में तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ समानता के बारे में । यह मांगे केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों की हैं । यह सभी कर्मचारियों की मांग है कि निम्नतम आवश्यकताओं के आधार पर एक राष्ट्रीय मजूरी ढांचा बनाया जाये । इस बात में क्या औचित्य है कि एक कर्मचारी को निम्नतम मजूरी 320 रुपया मिले तथा रेलवे कर्मचारी को निम्नतम मजूरी केवल 196 रुपया मिले ? सरकार का यह कहना सही नहीं है कि रेलवे कर्मचारियों की मांग पूरी करने पर 300 या 400 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेगे । सरकार आकाशवाणी तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के द्वारा जनता को रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध भड़काने पर तुली हुई है । 15 अप्रैल को समन्वय समिति के सदस्यों से यह कहा गया कि कोई भी मांग विचारणीय नहीं है । श्री जार्ज फर्नान्डीज़ तथा श्री डांगे तथा अन्य प्रतिनिधियों ने श्री कुरेशी से तीन दिन तक बातचीत की । लोको कर्मचारियों के नेता श्री सभापति को यह आश्वासन दिया गया था कि शाम को चार बजे बातचीत आरम्भ होगी तथा बात चीत के

परिणाम जानने से पूर्व किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जायगा। किन्तु हुआ यह कि श्री फरनेंडीज, श्री बरुआ, श्री चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य स्थानों पर भी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। क्या यह विश्वासघात नहीं है ? यदि बात चीत विफल हो जाती तो सरकार यह कदम उठा सकती थी किन्तु सरकार ने उनके साथ धोखा किया ? मैं जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री द्वारा मुख्य मंत्रियों को लिखा गया पत्र किस प्रकार प्रकाशित हो गया। इसमें भी कोई रहस्य है। कुछ व्यक्ति स्थिति का दुरुपयोग करना चाहते हैं। मेरा अनुरोध है कि क्या इस समस्या की गम्भीरता का ध्यानपूर्वक विचार करे। मैं सरकार को सचेत कर देना चाहता हूं कि यदि रेलवे हड़ताल को बात-चीत के माध्यम से समाप्त नहीं कराया गया तो अन्य केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी चुप नहीं बैठे रहेंगे। सरकार ने रवैया अपनाया हुआ है उससे कर्मचारियों का प्रजातंत्र प्रणाली और सरकार से विश्वास उठ गया है। यदि यह हड़ताल 8 मई को भी समाप्त नहीं हुई तो रक्षा विभाग के कर्मचारी भी इसमें सम्मिलित हो जाऐंगे।

पंद्रहवे श्रम सम्मेलन में सर्वसम्मति से सिफारिशें की गई थीं किन्तु सरकार उन्हें क्रियान्वित नहीं कर रही है। हम समान कार्य के लिये समान वेतन की मांग तथा मंहगाई के साथ-साथ मंहगाई भत्ते में वृद्धि की मांग और बोनस की मांग इस लिये कर रहे हैं कि सरकार बढ़ते हुए मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय निम्नतम मजूरी के बारे में निर्णय करने के लिये एक आयोग नियुक्त किये जाने में क्या कठिनाईयां हैं ? मंत्री महोदय यह भी स्पष्ट शब्दों में बताने का कष्ट करें कि यदि बोनस रिव्यू कमेटी सभी विभागीय उपक्रमों के कर्मचारियों को बोनस दिये जाने की सिफारिश करती है तो क्या सरकार सभी ऐसे कर्मचारियों को बोनस देने के लिये तैयार होगी। यदि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी निम्नतम आवश्यकता पर आधारित मजूरी की मांग करते हैं तो क्या सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों का हवाला देती है। यदि राज्य सरकार के कर्मचारी यह मांग उठाते हैं तो उन्हें नगर-निगमों के कर्मचारियों का उदाहरण दिया जाता है। या बेरोजगारों का उदाहरण दिया जाता है। क्या समस्या को हल करने का यही तरीका है ? मुझे भय है इस स्थिति में एक ऐसा दिन आयेगा कि दु:खी जनता विनाश और हिंसा पर उतर आएगी।

जहां तक कालेधन का का सवाल है मैं श्री गणेश को बधाई देता हूं कि उन्होंने कानपुर में एक बड़े व्यापारी श्री बागला की सम्पत्ति की नीलामी के निदेश जारी किये हैं क्योकि उसने आयकर का 18 लाख रुपया अदा नहीं किया। किन्तु खेद है कि एक आयकर अधिकारी ने इस फाइल को तब तक के लिये दबा लिया जब तक उसने स्टे आर्डर नहीं ले लिया। राम रतन गुप्ता की ओर बकाया 31 लाख रुपयों के मामले में क्या हुआ ? महोदय ! यदि वांचू समिति के अनुसार देश में काला धन 7,000–10,000 करोड़ रुपया है कर्मचारियों को राष्ट्रोय निम्नतम मजूरी से वंचित रखे जाने का क्या औचित्य है ?

कर अपवंचन को समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने प्रत्यक्ष कर की प्रतिशतता को 97.75 से घटाकर 77 कर दिया है। जहां तक कर मुक्त आय का सम्बन्ध है सरकार ने इसकी सीमा 5,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दी है। किन्तु इससे यू० डी० सी० को भी आयकर देना पड़ेगा। मेरा सुझाव है कि इसे कम से कम 10,000 किया जाना चाहिये। जैसी कि वेतन आयोग ने सिफारिश की है।

अंत में मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि रेलवे हड़ताल के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं हैं। सरकार रेलवे कर्मचारियों को दबा भी नहीं सकती। सरकार को रेलवे कर्मचारियों के जीवन से नहीं खेलना चाहिये क्योंकि उन्होंने हर संकट के समय सरकार की निष्ठा से सहायता की है। मंत्री महोदय तथा प्रधान मंत्री को रेल कर्मचारियों की समन्वय समिति के आह्वान का स्वागत करना चाहिये तथा बात-चीत के द्वारा इस समस्या का समाधान करना चाहिये।

श्री ए० के०एम० इसहाक (बसिरहाट) : मैं विधेयक का समर्थन करते हुए मंत्री महोदय का ध्यान कुछ बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। भारत की वास्तविक प्रगति तभी हो सकती है जब देश के सभी भागों में समान प्रगति हो। दुर्भाग्य से कुछ भागों का विकास तो अच्छा हुआ है किन्तु कुछ भागों का कोई विकास नहीं हो सका।

यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाये तो ज्ञात होगा कि पश्चिम भारत के कपास उत्पादकों की आर्थिक स्थिति में प्रति वर्ष बहुत सुधार हुआ है किन्तु पूर्वी भारत के पटसन उत्पादकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। वर्ष 1961–62 को आधार मानकर देखा जाये तो उस वर्ष रुई मूल्यों की तुलना में दिसम्बर, 1973 में 194 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दिसम्बर, 1973 में मूंगफली का मूल्य 326 रुपया था इस प्रकार उसमें भी 226 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी प्रकार दालों, खाद्य तेलों, चावल और गेहूं के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किन्तु पटसन का मूल्य दिसम्बर, 1973 में 123 रुपया ही रहा। अतः इसमें केवल 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

पूर्वी भारत की दूसरी फसल चाय है। इस अवधि में इसके मूल्य में भी केवल 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। खनिज पदार्थों के मूल्यों में भी केवल 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

महोदय! आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कपड़ा उद्योग को कितना अरक्षण दिया गया है। 1927 में आपात शुल्क केवल 5 प्रतिशत था जो 1932 तक बढ़ते-बढ़ते 50 प्रतिशत हो गया। 1952 में भारतीय कपड़ा उद्योग को और सुरक्षा देने के लिये 100 प्रतिशत आयात शुल्क लगा दिया गया तथा 1953 में सभी कपड़े के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। यह सभी पश्चिम भारत के कपास उत्पादकों, कपड़ा मिलों आदि क हित में किया गया।

किन्तु पटसन के बारे में क्या किया गया ? इस पर न आयात शुल्क लगाया गया और न उत्पादकों को कोई प्रोत्साहन दिया गया। इसके विपरीत पटसन के माल के निर्यात पर 1916 में 16 रुपया शुल्क लगाया गया जिससे 1946 में बढ़ाकर 80 रुपया तथा 1949 में 350 रुपया कर दिया गया। 1950 में यह 1500 रुपया कर दिया गया। 1974 में अवश्य उसे घटा-कर 600 रुपया प्रतिटन कर दिया गया है। इसका परिणाम यह है कि कपास और मूंगफली आदि के उत्पादों को लाभ होता जा रहा है। किन्तु पटसन उत्पादकों को उनके उत्पाद क सही मूल्य नहीं मिल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको पांच मिनट का समय मिला था।

श्री ए० के० एम० इसहाक : मैं भाषण समाप्त कर रहा हूं। स्वयं पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है कि पुर्वी क्षेत्र के राज्यों की उपेक्षा की जा रही है। औद्योगिक सम्पदाओं आदि

के बारे में मेरे 27 मार्च, 1974 के प्रश्न के उत्तर से ज्ञात होगा कि पूर्वी क्षेत्र के साथ किस प्रकार भेदभाव बरता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कार्य कर रही एस्टेटों की संख्या 5 है और शैडों की संख्या 97.....

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे मंत्री महोदय को ही दे दें।

श्री ए० के० एम० इसहाक : यूनिटों की संख्या 73 है। जबकि गुजरात में एस्टेटों की की संख्या 57, शैडों की संख्या 1935 और यूनिटों की संख्या 2,483 भारतीय अर्थ-व्यवस्था में इस प्रकार का असंतुलन उत्पन्न किया गया है। इस संदर्भ में मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह पूरे भारत में संतुलित विकास की योजना बनायें।

श्री के० सूर्यनारायण (एलूर) : मैं वित्त विधायक का समर्थन करता हूं तथा कृषि के विकास के लिये कुछ सुझाव देना चाहता हूं। क्योंकि कृषि ही हमारे देश की आधारभूत अर्थव्यवस्था है। कृषि और कृषि उद्योगों का विकास किये बिना हमारी अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती। मंत्री महोदय ने अपने भाषण में स्वीकार किया है कि अनेक प्रयत्नों के बावजूद किसानों की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सका। नगरों के आस-पास कृषि उद्योगों की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं किया जा सकता। मेरा सुझाव है कि सभी वस्तुओं का उत्पादन करने वाले किसानों को उनके उत्पादों का न्यायोचित मूल्य कितना मिलना चाहिये।

कृषि मंत्री ने गेहूं सम्बन्धी नीति की घोषणा करते हुए कहा था कि हम मिल मजदूरों का ध्यान रख रहे हैं। किन्तु ग्रामीण जनता, किसानों और खेतिहर मजदूरों के बारे में सरकार की क्या नीति है उन्हें अपने उत्पाद के न्यायोचित मूल्य नहीं मिल रहे हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार इस कार्य को सहकारी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत ले और व्यापारियों पर भरोसा न करे क्योंकि वे जनता को ठगते हैं।

जहां तक खाद्यान वसूली का सम्बन्ध है आन्ध्र प्रदेश राज्य ने केन्द्रीय चावल मूल में 6 लाख टन चावल दिया है। खेद है उस राज्य को केवल 1,75,000 टन उर्वरक आवंटित किया गया है जबकि मेरे ही जिले में लगभग एक लाख टन उर्वरक का उपयोग किया जाता था। हमारे उप मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय कृषि मंत्री तथा अधिकारियों से बातचीत की किन्तु केवल 10,000 टन अतिरिक्त उर्वरक मंजूर किया गया। मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर पुनः विचार किया जाये।

हर कोई मूल्य-वृद्धि मूल्य-वृद्धि चिल्लाता है किन्तु इसके लिये उत्तरदायी कौन है? सुपर बाजार में विदेशों से तस्करी के माल को क्यों बेचा जाता है। इन्हें खरीदता कौन है? इन वस्तुओं को वेतन-भोगी कर्मचारी ही खरीदते हैं बडे लोग ही खरीदते हैं तथा वही उस मूल्य-वृद्धि के लिये उत्तरदायी हैं न कि ग्रामीण जनता। ऐसी वस्तुओं की बिक्री को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिये।

आंध्र प्रदेश में 1970 में आंदोलन हुआ था। इसका उद्देश्य किन्हीं क्षेत्रों से पिछड़ापन दूर करना तथा नगरीय क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान विषमताओं को दूर करना था। तब सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जायेगा तथा इस प्रयोजन के लिये बनाई जाने वाली योजनाओं की क्रियान्विति के लिये राज्य की योजना में से संस्थान निर्धारित किये जायेंगे तथा केन्द्र द्वारा भी विशेष सहायता दी जायेगी। किन्तु अभी तक इसके लिये एक करोड़ रुपया भी नहीं दिया गया।

अंत में मैं महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उल्लेख करना चाहता हूं। चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में मतभेद है। सरकार चीनी कारखानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है। हम भी नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करना चाहते हैं किन्तु कार्यवाही कोई नहीं की गई। भूमि सुधार का नारा अब ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा सस्ता नारा हो गया है। मैं अपने दल की ओर से सरकार से अनुरोध करता हूं कि भूमि सुधार कार्यक्रम को देश में तुरन्त क्रियान्वित किया जाये।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत राव चव्हाण) : वित्त विधेयक पर चर्चा करते समय देश की विभिन्न आर्थिक समस्याओं का उल्लेख किया जाना स्वाभाविक है। इस संदर्भ में प्रमुख आर्थिक समस्या उठाई गई तथा आलोचना भी की गई। इन समस्याओं का उल्लेख सामान्य बजट पर चर्चा के समय भी किया गया था।

इस चर्चा के दौरान एक मुख्य बात सरकार की नीतियों में और दृष्टिकोण में परिवर्तन की उठाई गई है। श्री बाजपेयी का मेरे विचार से यह आशय था कि हमारी कर सम्बन्धी नीति के प्रति हमारा दृष्टिकोण एक जैसा नहीं रहा। उन्होंने मेरे 1971 के बजट भाषण का हवाला दिया था। उस समय हमने व्यक्तिगत आयकर को 83 प्रतिशत या 84 प्रतिशत से बढ़ाकर 93 प्रतिशत किया था तथा फिर उसे बढ़ाकर 97 प्रतिशत किया था। अब हमने उसे घटाकर 72 प्रतिशत कर दिया है। मैं एक बात स्पष्टरूप से कहना चाहता हूं कि हमने अपनी मौलिक नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। श्री बाजपेयी ने सिद्धांतों और व्यवहार की बात कही। इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि हमारा उद्देश्य अधिकतम वेतन और निम्नतम वेतन में विद्यमान विषमता दूर करना था। हमारा अब भी वही दृष्टिकोण है। हम इस सिद्धांत को अब भी त्याग नहीं रहे हैं। वास्तव में यह प्रयोगात्मक कदम हमने यह देखने के लिये उठाया है इससे कर अपवंचन की बुराई कहां तक दूर होती है। कर अपवंचन काले धन की जननी है। इसका सही ढंग से मुकाबला किया जाना चाहिये। हमें अनुभवी और योग्य व्यक्तियों ने यही सलाह दी थी तथा हम इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री श्याम नंदन मिश्र : क्या आप मानते हैं कि वे ईमानदारी से आय बतायेंगे ?

श्री यशवंत राव चव्हाण : यह प्रयोगात्मक उपाय है। इससे उन्हें यह प्रोत्साहन मिलना चाहिये कि वे सही आमदनी बतायें। इस बात का कोई प्रश्न ही नहीं है कि हम अपनी नीतियों से अलग हो रहे हैं। हम देश की आर्थिक स्थिति से निपट रहे हैं। अतः हमें यथार्थ बातों पर ध्यान रखना पड़ता है।

खाद्यान्न के सरकारीकरण के पीछे क्या सिद्धांत है ? इसके पीछे यह विचार है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास खाद्यान्न का स्टाक हो जाये जिससे हम उसे वितरित कर सकें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किसी न किसी तरह सफल बनाना है। हमने गेहूं क थोक व्यापार को पूरी तरह गैर-सरकारी व्यापारियों के हाथों नहीं छोड़ा है। खरीद करने वाली सरकारी एजेंसी है और इसे क्रियान्वत करना है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि इस समय देश में गम्भीर आर्थिक संकट है।

मुद्रा-स्फीति के बारे में भी उल्लेख किया गया है। यह ठीक है कि मुद्रा-स्फीति बढ़ी है। कुछ देशों को छोड़कर विश्व के सभी देश में मुद्रा-स्फीति हो रही है। यहां तक कि अमरीका जैसे विकसित देश में भी मुद्रा-स्फीति है। मैं यह नहीं कहता कि देश में जो कुछ हो रहा है वह अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों के कारण से हो रहा है परन्तु हमारी वर्तमान आर्थिक स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों का भी योगदान है।

मुद्रा-स्फीति और मुद्रा सप्लाई, इन दोनों प्रश्नों का सम्बन्ध देश की उत्पादन प्रक्रियाओं से रहता है। क्या माननीय सदस्य इस स्थिति से इन्कार करते हैं? मुद्रा सप्लाई की समस्या तब ही उत्पन्न होती है जब मुद्रा सप्लाई और उत्पादन में कोई सम्बन्ध न हो। दुर्भाग्यवश, इस देश में गत दो-तीन वर्षों के दौरान सूखा या बंगला देश के कारण कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं।

अनेक लोगों ने कहा है कि सप्लाई पर प्रतिबन्ध होने के कारण कुछ उत्पादिता प्रक्रियाओं पर प्रभाव पड़ा है। कुछ आपत्ती स्थितियां उत्पन्न हो गईं। जब हमें इन आपात्ती स्थितियों से निपटना होता है तो उस प्रयोजन के लिये धन का निवेश करना पड़ता है। उससे निश्चय ही मुद्रा सप्लाई पर प्रभाव पड़ता है। यदि देश मे सूखा पड़ जायेगा तो उस स्थिति में मेरे मित्रों का क्या उत्तर होगा?

श्री श्यामनंदन मिश्र (बेगुसराय) : दैवी प्रकोप और योजना तथा विकास के लिये व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्री यशवंत राव चव्हाण : हमने ऐसा ही किया है।

इन आपाती स्थितियों के लिये जो कुछ भी व्यवस्था की गई, जिसका उत्पादन प्रक्रिया से कोई सम्बन्ध नहीं था, उसका हमारी मुद्रा सप्लाई पर प्रभाव पड़ा है।

घाटे की अर्थव्यवस्था का सम्बन्ध भी इस प्रश्न से है। हमने गत वर्ष मितव्ययिता लाने के लिये कुछ उपाय किये। हमने चयनात्मक ऋण नियन्त्रण के माध्यम से कुछ उपाय लागू किये हैं। कुछ नई नीतियां भी लागू की गईं और ऋण नियंत्रण भी लागू किये गये। जिनका कुछ परिणाम निकला है।

आजकल खाद्य पदार्थों और औद्योगिक कच्चे माल के मूल्य बढ़ रहे हैं।

यदि विरोधी पक्ष सहयोग दें तो हम उसका स्वागत करेंगे।

श्री श्यामनंदन मिश्र : क्या मंत्री महोदय वास्तव में हमारा सहयोग चाहते हैं?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यदि आर्थिक क्षेत्र में वे सहयोग दें तो उस क्षेत्र में उसकी आवश्यकता है।

वित्त विधेयक के बारे में दो-तीन बातें कही गई हैं। एक बात कही गई है कि करों के स्तर में कमी कर के हमने एकाधिकार के प्रति आत्म-समर्पण कर दिया है यह आरोप निराधार है।

दूसरा तर्क यह दिया गया था कि करों में छूट के लिये आय सीमा को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये क्यों नहीं किया गया। श्री साल्वे ने कहां कि आयकर में जो राहत दी गई है वह युक्तिसंगत नहीं है। श्री दामाजी ने भी वही बात उठाई। मान लीजिये, 1969-70 में 5,000 रुपये के स्तर पर जिस व्यक्ति का कर दायित्व 11 रुपये था वह 1975-76 में कुछ नहीं होगा। मैं समझता हूं कि 10,000 रुपये और उससे अधिक राशि तक कमी का स्तर वही है।

वांचू समिति की सिफारिशों का उल्लेख किया गया है कि प्रत्यक्ष कराधान बोर्ड स्वतंत्र निकाय बना दिया जाये। यह प्रशासनिक दृष्टि से न तो संभव ही है और न ही व्यवहारिक। कराधान प्रणाली के लिये भी यह लाभदायक नहीं है। एक प्रशासनिक निकाय को नीति निर्माता निकाय, सरकार से कैसे अलग किया जा सकता है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : बिजली प्रधान उद्योगों के प्रक्रिया क्षेत्र मे उत्पादन शुल्क में अन्तर के कारण अनेक श्रमिकों को निकाले जाने की संभावना है। मंत्री महोदय प्रकाश डालें।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने यह बात नोट कर ली है।

यह भी कहा गया है कि सूती कपड़ों सम्बन्धी बजट प्रस्तावों के कारण हाथ से कपड़ा बनाने वाले उद्योगों के पक्ष में विद्यमान अंतर और बढ़ गया है। यह अनुरोध किया गया है कि हाथ से बने या बिजली की सहायता से बने, दोनों ही प्रकार के सूती कपड़ों पर शुल्क एक बराबर लगाया जाना चाहिए। स्थिति यह है कि इस वर्ष के बजट प्रस्तावों के एक भाग के रूप में सुपर फाइन कपड़े और बिजली की सहायता से बने फाइन फैब्रिक्स मर्सराइज्ड कपड़े पर नौ पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क लगाया गया है। हाथ से बने सूती कपड़ों पर पांच पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क बढ़ाया गया है। हाथ से बने सूती कपड़ों के अधिकांश एकक मिश्रित शुल्क प्रक्रिया का लाभ उठाते हैं। मिश्रित शुल्क दरों में प्रत्यक प्रिंटिंग मशीन पर 3,000 रुपये से 4,500 रुपये तक की तथा प्रत्येक मर्सराइज्ड मशीन पर 2,000 रुपये से 5,000 रुपये तक प्रति मास की वृद्धि की गई है। कभी-कभी मिश्रित शुल्क प्रक्रिया केवल हाथ से कपड़ा बनाने वाले एककों को ही उपलब्ध होती है। यह वृद्धि 10 पैसे नहीं, अपितु 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की गई है। बिजली की सहायता से कपड़ा बनाने वाले एककों के शुल्क में इस प्रकार 6 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से वृद्धि की गई है।

श्री श्यामनंदन मिश्र : आत्म-निर्भरता के बारे में मैं एक बात पूछना चाहता हूं। भारत सहायता सार्थ संघ से कितनी सहायता मांगी गई है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हमें अभी भारत सहायता सार्थ संघ के देशों से मिलना है। उसने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में सही या गलत मूल्यांकन किया है परन्तु वह भारत की सहायता करने के लिये ही ऐसा करता है।

श्री श्यामनंदन मिश्र : मंत्री महोदय ने बताया कि वह पांचवीं योजना के अन्त तक किसी स्थिति पर पहुंचेंगे। क्या हम समझें कि इस कार्यक्रम को छोड़ दिया है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इसे छोड़ा नहीं गया है।

क्षेत्रीय असमानता को दूर करने क लिये जीवन बीमा निगम और अन्य निकायों जैसी वितीय संस्थाओं ने अविकसित क्षेत्रों को अधिकाधिक ऋण दिये ह। उन एककों की संख्या, जिनकी सहायता की जा रही है और इन एककों को दी जाने वाली राशि, धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है परन्तु ये वित्तीय सस्थाएं जादू नहीं कर सकती हैं। वे ऐसे क्षेत्रों में जा सकती हैं जहां आधारभूत ढांचा उपलब्ध है। नियोजित विकास के लिये आधारभूत ढांचा पहली चीज है। इस पर थोड़ा समय लगेगा।

हमने हाल ही में एक विधेयक पेश किया जिसे प्रवर समिति को सौंपा गया है। इसके द्वारा हम उन उद्योगों को नकदी के रूप में अनेक वित्तीय प्रोत्साहन दे रहे हैं जो पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाना चाहेंगे। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि हम इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री पी० वेंकटरासुब्बया (नन्दमाल) : स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन का लाभ नहीं मिल रहा है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस कार्य के लिये नीति निर्धारण करने वाले निर्णय ही पर्याप्त नहीं हैं, अन्य प्रयास करने पड़ेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted :

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करते हैं. .. ..

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Before taking up clause by clause consideration, please ask the Hon. Minister if he is going to reduce the excise duty.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य विधेयक के तीसरे प्रक्रम पर प्रश्न पूछ सकते हैं।

खंड 2 तथा 3 के लिये कोई संशोधन नहीं है। मैं उन्हें सभा के सामने मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और खंड 3 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted :

खंड 4

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नरेन्द्र कुमार सांधी का एक संशोधन है। क्या वह इसे प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी (जालौर) : मैं अपना संशोधन संख्या 57 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह संशोधन किस बारे में है ? क्या माननीय सदस्य कुछ कहेंगे नहीं ?

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : मैं संशोधन संख्या 57 के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

काम के लिये कार या अन्य वाहनों से जाने के लिये गत वर्ष कुछ कटौतियों की अनुमति दी गई थी। कारो के लिये 200 रुपये का भत्ता, स्कूटरों और मोटर साईकिल के लिये 75 रुपये का और अन्य उपायों के लिये 50 रुपये का भत्ता काटा जाता था।

अब उपरोक्त तरीके के स्थान पर कटौती का नया तरीका तैयार किया गया है। 20,000 रुपये तक के वेतन पाने वाले व्यक्ति को 20 प्रतिशत और 10,000 रुपये तक के वेतन पाने वाले को 10 प्रतिशत की कटौती की अनुमति है। पेंशन पाने वाले को भी वेतन मिलता है। उन्हें इस कटौती के लाभ से रोका गया है।

अतः मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह मेरा संशोधन स्वीकार करें।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत वेतनभोगी कर निर्धारितियों को स्टैंडर्ड कटौतियां उपलब्ध होंगी अतः उस सीमा तक यह संशोधन आवश्यक है।

पेंशन पाने वालों के सम्बन्ध में विद्यमान कानून में उन्हें कटौती की अनुमति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं यह संशोधन सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

एक माननीय सदस्य : वह इस पर आग्रह नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : तब, उन्हें इसे वापिस लेना होगा।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : मैं सभा की अनुमति से अपना संशोधन वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने में सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 57 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।
Amendment No. 57 was, by leave, withdrawn :

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted :

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 4 was added to the Bill.

खंड 5

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार का एक संशोधन है ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं इसे प्रस्तुत कर रहा हूं ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मंत्री महोदय भी इसे वापस क्यों नहीं लेते ?

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 11, पंक्ति 25,—

after "State Financial Corporations Act, 1951,", *insert*—

"or an institution deemed under section 46 of that Act to be a Financial Corporation established by the State Government for, the State within the meaning of that Act,".

('राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951' के पश्चात् अन्त: स्थापित किया जाये—

"या किसी ऐसी संख्या की दशा में जो उस अधिनियम की धारा 46 के अधीन उस अधिनियम के अर्थान्तर्गत किसी राज्य की सरकार द्वारा उस राज्य के लिये स्थापित वित्तीय निगम समझी गई है" । (98)

(श्री यशवन्त राव चव्हाण) :

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted :

खंड 5 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 5 as amended was added to the Bill.

खंड 6 और 7 भी विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 6 and 7 were also added to the Bill.

खंड 8

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 12, पंक्ति 18 से 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

"Total income of the assessee is received in convertible foreign exchange in India, or having been received in convertible foreign exchange outside India, or having been converted into convertible foreign exchange outside India, is brought into India, by or on behalf of the assessee in accordance with any law for the time being in force for regulating payments and dealings

in foreign exchange, there shall be allowed a deduction of the whole of the income so received in, or brought into, India," shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of April, 1969.'

("और वह आय भारत में संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त की जाती है, या भारत से बाहर संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त की जाने पर, या भारत से बाहर संपरिवर्तनीय विदेशी मद्रा में संपरिवर्तित की जाने पर, निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से विदेशी मुद्रा में संदाय और व्यवहार के विनियमन के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार भारत में लाई जाती है वहां इस प्रकार भारत में प्राप्त या लाई गई सम्पूर्ण आय की कटौती अनुज्ञात की जायेगी," शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे और 1 अप्रैल, 1969 से प्रतिस्थापित किये गये समझे जायेंगे।'

(99)

(श्री यशवन्त राव चव्हाण) :

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 12, पंक्ति 24 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाये, :-

'(c) the following *Explanation* shall be inserted, and shall be deemed to have been inserted, at the end, with effect, from the 1st day of April, 1969, namely :—

"*Explanation* .—For the purposes of this section,—

(i) 'convertible foreign exchange' means foreign exchange which is for the time being treated by the Reserve Bank of India as convertible foreign exchange for the purposes of the law for the time being in force for regulating payments and dealings in foreign exchange ;

(ii) any income used by the assessee outside India in the manner permitted by the Reserve Bank of India shall be deemed to have been brought into India in accordance with the law for the time being in force for regulating payments and dealings in foreign exchange, on the date on which such permission is given." '

['(ग) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त: स्थापित किया जायेगा और 1 अप्रैल, 1969 से अन्त: स्थापित समझा जायेगा, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिये, —

"संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" से वह विदेशी मुद्रा अभिप्रेत है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में संदाय और व्यवहार को विनियमित करने के लिये तत्समय प्रवृत्त विधि के प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा समझी जाती है ;

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञात रीति में भारत के बाहर निर्धारिती द्वारा उपयोग की गई आय विदेशी मुद्रा में संदाय और व्यवहार को विनियमित करने वाली तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार ऐसी अनुज्ञा की तारीख को, भारत में लाई गई समझी जायेगी ।""]

(100)

(श्री यशवन्त राव चव्हाण) :

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 8, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 8, as amended, was added to the Bill.

खंड 9

संशोधन किया गया ।

पृष्ठ 12, पंक्ति 26 से 36 के स्थान पर निम्नलिखित प्रति स्थापित किया जाये ।

'(a) in sub-section (1):—

(i) for the words "there shall be allowed, in accordance with and subject to the provisions of this section, a deduction of the whole of such income", the words "and such income is received in convertible foreign exchange in India, or having been received in convertible foreign exchange outside India, or having been converted into convertible foreign exchange outside India, is brought into India by or on behalf of the assessee in accordance with any law for the time being in force for regulating payments and dealings in foreign exchange, there shall be allowed, in accordance with and subject to the provisions of this section, a deduction of the whole of the income so received in, or brought into India" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of April, 1972 ;

(ii) the following *Explanation* shall be inserted and shall be deemed to have been inserted at the end, with effect from the 1st day of April, 1972, namely :—

"*Explanation.*—The provisions of the *Explanation* to section 80N shall apply for the purposes of this section as they apply for the purposes of that section.".

"(क) उपधारा (1) में,–

(i) "वहां निर्धारिती की कुल आय संगणित करने में इस धारा के उपबन्धों के अनुसार और अधीन, ऐसी सम्पूर्ण आय की कटौती अनुज्ञात की जाएगी" शब्दों के स्थान पर

"और एसी आय भारत में संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त की जाती है या भारत से बाहर संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त की जाने पर या भारत से बाहर संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तित की जाने पर निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से विदेशी मुद्रा में संदाय और व्यवहार के विनियमन के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार भारत में लाई जाती है वहां निर्धारिती की कुल आय संगणित करने में इस धारा के उपबन्धों के अनुसार और अधीन भारत में इस प्रकार प्राप्त या लाई गई सम्पूर्ण आय की कटौती अनुज्ञात की जाएगी" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे और 1 अप्रैल, 1972 से प्रतिस्थापित किये गए समझे जायेंगे ;

(ii) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त: स्थापित किये जायेगा और 1 अप्रैल, 1972 से अन्त: स्थापित समझा जाएगा, अर्थात् :–

"स्पष्टीकरण—धारा 80 ढ के स्पष्टीकरण के उपबन्ध इस धारा के प्रयोजनों के लिये उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस धारा के प्रयोजनों के लिये लागू होते हैं ।";"।]

[101]

(श्री यशवन्त राव चव्हाण) :

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 9, as amended, was added to the Bill.

खंड 10 से 12 विधेयक में जोड़ दिए गये ।

Clauses 10 to 12 were added to the Bill.

संशोधन किया गया : **खंड 13**

पृष्ठ 18, पंक्ति 25 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाये,—

"13 (1) The following amendment (being an amendment of a consequential nature) shall be made in the Income-tax Act, namely :—

In section, 155, after sub-section (10), the following sub-sections shall be inserted, namely :—

"(11) Where in the assessment for any year, the deduction under section 80 N in respect of any income being the whole of any part of income by way of dividends as is referred to in that section, has not been allowed on the ground that such income has not been received in convertible foreign exchange in India, or having been received in convertible foreign exchange outside India, or having been converted into convertible foreign exchange outside India, has not been brought into India, by or on behalf of the assessee in accordance with any law for the time being in force for regulating payments and dealings in foreign exchange and subsequently such income or part thereof is received in, or brought into, India in the manner aforesaid, the Income-tax Officer shall amend the order of assessment so as to allow deduction under section 80 N in respect of such income or part thereof as is so received in, or brought into, India and the provisions of section 154 shall so far as may be apply thereto, the period of four years specified in sub-section (7) of that section being reckoned from the date on which such income is so received in, or brought into, India.

(12) Where in the assessment for any year, the deduction under section 80 O in respect of any income, being the whole or any part of income by way of royalty, commission, fees or any similar payment as is referred to in that section, has not been allowed on the ground that such income has not been received in convertible foreign exchange in India, or having been received in convertible foreign exchange outside India, or having been converted into convertible foreign exchange outside India, has not been brought into India, by or on behalf of the assessee in accordance with any law for the time being in force for regulating payments and dealings in foreign exchange and subsequently such income or part thereof received in, or brought into, India, in the manner aforesaid, the Income-tax Officer shall amend the order of assessment so as to allow deduction under section 80 O in respect of such income or part thereof as is so received in, or borught into, India and the proivisions of section 154 shall, so far as may be, apply thereto, the period of four years specified in sub-section (7) of that section being reckoned from the date on which such income is so received in, or brought into, India.".

(2) The following amendments (being amendments of a'.

"13 (i) आय-कर अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन (जो परिणामिक संशोधन है) किया जाएगा अर्थात् :—

धारा 155 में, उपधारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अन्त: स्थापित की जाएंगी अर्थात् :–

"(ii) जहां किसी वर्ष के निर्धारण में, किसी आय की बाबत, जो धारा 80ढ में यथ निर्दिष्ट लाभांशों के रूप में पूरी आय या उसका कोई भाग है, उस धारा के अधीन कटौती इस आधार पर अनुज्ञात नहीं की गई है कि ऐसी आय भारत में संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त नहीं हुई है या भारत से बाह संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त होने पर या भारत से बाहर संपरिवर्तित विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तित किये जाने पर निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से विदेशी मुद्रा के संदाय और व्यवहार को विनियमित करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार भारत में नहीं लाई गई है और बाद में ऐसी आय या उसका कोई भाग पूर्वोक्त रीति से भारत में प्राप्त किया जाता है या लाया जाता है वहां आय-कर अधिकारी निर्धारण आदेश को इस प्रकार संशोधित करेगा कि इस प्रकार भारत में प्राप्त या लाई गई ऐसी आय या उसके भाग की बाबत धारा 80ढ के अधीन कटौती अनुज्ञात हो जाये और जहां तक हो सके, धारा 154 के उपबन्ध उसे लागू होंगे, तथा उस धारा की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चार वर्ष की अवधि उस तारीख से संगणित की जाएगी जिसको ऐसी आय भारत में इस प्रकार प्राप्त की जाती है या लाई जाती है ।

(iii) जहां किसी वर्ष के निर्धारण में, किसी आय की बाबत, जो धारा 80ण में यथा-निर्दिष्ट स्वामित्व, कमीशन, फीस या किसी वैसे ही संदाय के रूप में पूरी आय या उसका कोई भाग है, उस धारा के अधीन कटौती इस आधार पर अनुज्ञात नहीं की गई है कि ऐसी आय भारत में संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त नहीं हुई है या भारत से बाहर संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त होने पर, या भारत से बाहर संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तित किए जाने पर निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से, विदेशी मुद्रा के संदाय और व्यवहार को विनियमित करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार भारत में नहीं लाई गई है और बाद में ऐसी आय या उसका कोई भाग पूर्वोक्त रीति से प्राप्त किया जाता है या लाया जाता है वहां आय-कर अधिकारी निर्धारण आदेश को इस प्रकार संशोधित करेगा कि इस प्रकार भारत में प्राप्त या लाई गई ऐसी आय या उसके भाग की बाबत धारा 80ण के अधीन कटौती अनुज्ञात हो जाये और जहां तक हो सके, धारा 154 के उपबन्ध उसे लागू होंगे, तथा उस धारा की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चार वर्ष की अवधि उस तारीख से संगणित की जायेगी जिसकी ऐसी आय भारत में इस प्रकार प्राप्त की जाती है या लाई जाती है ।

(2) आय-कर अधिनियम में 1 अप्रैल, 1975 से निम्नलिखित संशोधन ।" [102]

(श्री यशवन्त राव चव्हाण)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 13 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 13, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 13, as amended, was added to the Bill.

खंड 14 और 15

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 14 और 15 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 14 और 15 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 14 and 15 were added to the Bill.

खंड 16

संशोधन किये गये

पृष्ठ 21, पंक्ति 13 से 16 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाये :–

'(b) any machinery or plant, being coal-fired equipment, or any machinery or plant for converting oil-fired equipment into coal fired equipment, installed by any assessee after the 31st day of May, 1974 but before the 1st day of June, 1977.

Explanation.—In this clause, "equipment" means a boiler, furnance, kiln, oven or the like ;'.

['(ख) किसी मशीनरी या यंत्र को, जो कोयला ज्वलित उपस्कर है, या जो तेल ज्वलित उपस्कर को कोयला ज्वलित उपस्कर में संपरिवर्तित करने के लिये किसी मशीनरी या संयंत्र को जो निर्धारिती द्वारा 31 मई, 1974 के पश्चात् किन्तु 1 जून, 1977 के पहले संस्थापित किया गया है ।

स्पष्टीकरण—इस खंण्ड में 'उपस्कर' से बायलर, भट्टी, भट्टा आवा या इसी प्रकार की वस्तु अभिप्रेत है, "।] (103)

(श्री यशवन्त राव चव्हाण)

पृष्ट 21, पंक्ति 25 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाये ।

"or plant, or bad, where such machinery or plant has been manufactured in an undertaking owned by the assessee, taken steps for the manufacture of such machinery or plant,".

["ली थी, या जहां ऐसी मशीनरी या संयंत्र निर्धारिती के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम में विनिर्मित की गई है वहां ऐसी मशीनरी या संयंत्र के विनिर्माण के लिये कदम उठाया था," ।] (104)

(श्री यशवन्त राव चव्हाण)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 16, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 16, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 16, as amended, was added to the Bill.

खंड 17

संशोधन किया गया ।

पृष्ठ 21, पंक्ति 29 से 40 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाय –

"17. The provision of section 80 N of the Income-tax Act, as they stood immediately before the 1st day of April, 1969, and the provisions of section 80 O of that Act, as they stood from time to time before the 1st day of April, 1972, shall have and shall be deemed to have had effect subject to the modification that the deduction under the said provisions shall be allowed only with reference to the income referred to therein which is received in convertible foreign exchange in India, or having been received in convertible foreign exchange outside India, or having been converted into convertible foreign exchange outside India, is brought into India by or on behalf of the assessee in accordance with any law for the time being in force for regulating payments and dealings in foreign exchange.

Explanation.—For the purposes of this section,—

(i) "convertible foreign exchange" means foreign exchange which is for the time being treated by the Reserve Bank of India as convertible foreign exchange for the purposes of the law for the time being in force for regulating payments and dealings in foreign exchange;

(ii) any income used by the assessee outside India in the manner permitted by the Reserve Bank of India shall be deemed to have been brought into India in accordance with the law for the time being in force for regulating payments and dealings in foreign exchange, on the date on which such permission is given."

["17. आय-कर अधिमिनयम की धारा 80 ढ के उपबन्ध जैसे वे 1 अप्रैल, 1969 के ठीक पहले थे और उस अधिनियम की धारा 80 ण के उपबन्ध जैसे वे समय-समय पर 1 अप्रैल, 1972 के ठीक पहले थे, इस उपान्तर के अधीन रहते हुए प्रभाव होगा कि उक्त उपबन्धों के अधीन कटौती उनमें निर्दिष्ट उसी आय के प्रति निर्देश से अनुज्ञात की जाएगी जो भारत में संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त की जाती है या भारत से बाहर संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त की जाने परे, या भारत से बाहर संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तित की जाने पर, निधारिती द्वारा या उसकी ओर से विदेशी मुद्रा में संदाय और व्यवहार को विनियमित करने वाली तत्समय प्रवृत किसी विधि के अनुसार भारत में लाई जाती है, और यह समझा जाएगा कि उसका सदैव इसी उपान्तर के अधीन प्रभाव था।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये, —

(i) "संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" से वह विदेशी मुद्रा अभिप्रेत है जो भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में संदाय और व्यवहार को विनियमित करने के लिए तत्समय विधि के प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा समझी जाती है ;

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञात रीति में भारत के बाहर निधारित द्वारा उपयोग की गई आय विदेशी मुद्रा में संदाय और व्यवहार को विनियमित करने वाली तत्समय प्रवृत विधि के अनुसार ऐसी अनुज्ञा की तारीख को, भारत में लाई गई समझी जाएगी।"] [105]

(**श्री यशवन्तराव चव्हाण**)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 17, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 17, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिय गया।

Clause 17, as amended, was added to the Bill.

खंड 18

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं अपना संशोधन संख्या 29 प्रस्तत करता हूं । मेरा संशोधन है कि उप-धारा 4 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना यथाशीघ्र अनुमोदनार्थ लोक सभा क पटल पर रखी जाये । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगें ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मेरा निवेदन है कि उप-धारा (4) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना न केवल सभा पटल पर रखी जाये बल्कि उसे सभा का अनुमोदन भी प्राप्त होना चाहिए । में आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि यह विधेयक की भावना के अनुरूप है ।

{ Shri Vasant Sathe in the Chair
श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए }

Shri Atal Behari Vajpayee (Gwalior) : It is imperative under the rules to lay on the table of the House all the notifications. Secondly it is not necessary for the Government to seek Parliament's approval. It has been brought to my notice that the Government allowed certain parties to export silver. No notification was issued in this regard. This benefited certain parties. It has assumed form of a scandle. If Hon. Minister assures the House I can give facts. So far as the amendment goes it enhances the dignity of the House. There should not be any objection for its acceptance.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : सरकार द्वारा संसद से कुछ भी छिपाने का कोई प्रश्न नहीं है । इसी कारण अधिसूचना सभा पटल पर रखने का उपबन्ध है । प्रतिदिन लगभग 300 अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं । हम नहीं चाहते कि जब भी वित्त विधेयक पर चर्चा हो, प्रतिदिन इन अधिसूचनाओं पर विचार किया जाये । नियमों के अनुसार सदस्यों को अधिसूचना पर चर्चा उठाने का अधिकार है । अत: इन अधिसूचनाओं पर भी चर्चा उठा सकते हैं ।

सभापति महोदय द्वारा

संशोधन संख्या 29 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The Amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड 18 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 18 was added to the Bill.

खंड 19 से 21

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 19 से 21 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 19 से 21 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 19 to 21 were added to the Bill.

खंड 22

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं अपने संशोधन संख्या 30 और 31 प्रस्तुत करता हूं ।

खण्ड 22(1) में उल्लेख है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं पर उनके मूल्य के 20 प्रतिशतके तुल्य उप शुल्क लगाया जाये । मैं चाहता हूं कि इसे 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जाये । मैं यह भी चाहता हूं कि इन उप शुल्कों के सम्बन्ध में जारी की गई अधिसूचना यथाशीघ्र लोक सभा की अनुमति के लिये प्रस्तुत की जाये ।

प्रो० मधु दंडवते (राजपुर) : हमनें पहले भी मांग की थी कि सभी अधिसूचनाएं लोक सभा में अनुमति के लिये प्रस्तुत की जायें । मंत्री महोदय का सुझाव था कि इसमें बहुत समय लगेगा । मैं नहीं समझता कि यह समय व्यर्थ जायेगा । अत: वित्त मंत्री को इस संशोधन को बिना सोचे समझे अस्वीकार नहीं करना चाहिये ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह बिना सोचे समझे अस्वीकार करने की बात नहीं है । मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसे स्वीकार करना तर्कसंगत नहीं समझता । श्री बनर्जी के संशोधन को स्वीकार करके 20 प्रतिशत से उसे 10 प्रतिशत करने से पिछले वर्ष के संशोधन का प्रयोजन ही व्यर्थ चला जायेगा । अत: उसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 30 और 31 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The Amendment Nos. 30 and 31 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 22 विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 22 was added to the Bill.

खंड 23 और 24 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 23 and 24 were added to the Bill.

खंड 25

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं अपने संशोधन संख्या 32, 33, 34, 35, 36, 37 और 38 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी: मैं अपने संशोधन संख्या 66, 67, 68, 69 और 70 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : खण्ड 25 का उद्देश्य डाक वस्तुओं और पार्सल दरों में वृद्धि करना है। जन साधारण की आवश्यकता की वस्तुओं, अर्थात् पोस्ट-कार्डों के मूल्य में वृद्धि की जा रही है। सभा के सभी वर्गों की ओर से यह मांग की गई है कि कम से कम पोस्ट-कार्ड का मूल्य कम किया जाये। वित्त मंत्री को इस अवसर पर भी इस मांग पर ध्यान देना चाहिये और इसे स्वीकार करना चाहिये।

Shri Atal Behari Vajpayee : If the Finance Minister accepts the amendment relating to rates of Post Card we will not press for other amendments. There has been a fervent appeal for all sections of the Houses that at the price of the Post Card should not be increased. Postal items should not be cosidered separately. There can be some items which produce income and there can be certain items which can cause loss. Post Card is one such item. It is not fair to thrust the whole burden on users of Post Cards. Its price has been increased by 50%. It is not fair : It should be withdrawn.

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur) : The price of the Post Card has been certainly raised. Now it is being raised by 50%. This increase is most unfair. When certain levies were imposed in the wake of Bangladesh struggle the Post Card was not touched at that time also, because it is an item which is used by common man.

The Government feels that big business firms are making misuse of Post Card. It should try to evolve some method to check this misuse. It is not fair to increase its price.

प्रो० मधु दंडवते : पोस्ट कार्डों तथा अन्य पत्रों आदि की दरें बढ़ाना निर्धन लोगों को अपने मित्रों को समाचार भेजने पर रोक लगाने के समान है। यह एक प्रकार से एक बहुत बड़ा संचार संकट उतपन्न करना है। कर लगाते समय सरकार को साधारण जनता को उससे मुक्त रखने का प्रयास करना चाहिये। इस बात को दृष्टि में रख कर मैंने अपने संशोधन प्रस्तुत किये हैं। मंत्री महोदय को इन संशोधनों को स्वीकार कर लेना चाहिये। श्री बाजपेयी के इस मत का मैं समर्थन करता हूं कि यदि मंत्री महोदय पोस्ट कार्ड सम्बन्धी संशोधन को स्वीकार कर लें तो हम अन्य संशोधनों को छोड़ देंगे।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 32 से 34 सभा में मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendments Nos. 32 to 34 were put and negatived.

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 35 सभा के मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 24, पंक्ति 24 :

'15 Paise' (15 पैसे) शब्दों के स्थान पर

'10 Paise' (10 पैसे) शब्द रख दियें जायें।

[संख्या 35]

लोक सभा में मतविभाजन हुआ ।
The Lok Sabha divided.

पक्ष में	विपक्ष में
Ayes	Noes
15	129

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।
Motion was negatived.

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 36 सभा के मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 24, पंक्ति 25,–

'30 Paise' (30 पैसे) शब्दों के स्थान पर

'20 Paise' (20 पैसे) शब्द रख दिये जायें ।

[संख्या 36]

लोक सभा में मतविभाजन हुआ ।
The Lck Sabha divided

पक्ष में	विपक्ष में
Ayes	Noes
15	133

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।
The motion was negatiued.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 37 और 38 सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendment Nos. 37–38 were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 66, 67, 68, 69 और 70 सभा के मतदान के लिये रख गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendment Nos. 66, 67, 68, 69 and 70 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खण्ड 25 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 25 was added to the Bill.

प्रथम अनुसूची

First Schedule

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं संशोधन संख्या 39,40, 41, 42, 43, 44, 45 46 और 47 प्रस्तुत करता हूं ।

इन संशोधनों को प्रस्तुत करने का मेरा उद्देश्य छूट सीमा को 6,000 रुपये से बढ़ा कर 10,000 रुपये करना है । मूल्यों में वृद्धि के कारण वेतन पाने वाले लोगों को सब से अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों पर आय-कर नहीं लगाया जाता । अत: 500-700 रुपये मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को यह छूट क्यों नहीं मिलनी चाहिये । मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह कृपया इस संशोधन को स्वीकार कर लें ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (ग्वालियर) मैं, संशोधन संख्या 73, 74, 75, 76, 77, 78 79 92, 93, 94, 95, और 96 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मधु दंडवते (राजापुर) : मैं संशोधन संख्या 117, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129, और 131 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : This question was examined in detail by the Public Accounts Committee and it was concluded that if low income group is exempted from Income Tax, the Income Tax Department will be in a position to pay more attention towards the people earning huge sums of money and they will collect more income tax from them and the government will not be put to any loss. Bootblingom Committee had recommended that exemption limit should be raised to Rs. 7,500 but now the prices have been increased. I suggest that hon'ble Minister should accept my amendment to raise the exemption limit to Rs. 7,500 if no other amendment is acceptable to him.

Shri Jagan Nath Rao Joshi (Shajapur) : Last time when the exemption limit was increased a bit then the number of tax payers was decreased by 6 lakhs. I want to know by fixing the limit at Rs. six thousands how many tax payers will decrease. The Govt. should devote time to big tax payers. I think under the present circumstances the slab up to Rs. 7,500 is justified.

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : अपने गत उत्तर में वित्त मंत्री ने कहा था कि वे कर का ढ़ांचा अधिक विस्तृत करना चाहते हैं । मैं नहीं जनता की उनका आशय क्या है, परन्तु बेहतर यह होगा कि कम आय वर्ग समूह को अधिक लाभ दिया जाये और उच्च आय वर्ग के लिए कर की

दरें ऊंची होनी चाहिएं। कर को सीमा के बारे में विभिन्न उपाय सुझाये गये हैं। वित्त मंत्री को आयकर की ऐसी सीमा निर्धारित करनी चाहिए जिससे मध्यम आय वर्ग को अधिक लाभ मिल सके।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : श्री चव्हाण ने विधेयक के प्रथम वाचन का उत्तर देते हुए कह था कि वे कांग्रेस द्वारा निर्धारित सिद्धान्त का अनुसरण कर रहे हैं लेकिन मुझे तो इसमें किसी सिद्धांत की बात नहीं लग रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे किसी सिद्धान्त का अनुसरण कर रहे हैं अथवा केवल सबको गरीब बनाने की सोच रहे हैं। कर की छूट सीमा बढ़ाने से न केवल वसूली कार्य में लगाने वाला धन ही अपितु हजारों फार्मों के भरने में होने वाला व्यय भी बचा सकेंगे। वित्त मंत्री चाहते हैं कि अधिक से अधिक व्यक्ति उनकी मुट्ठी में आयें। मेरे विचार में बिना सिद्धान्त का कराधान जनता को परेशान करने वाली बात होगी।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : जहां तक कर निर्धारण की जांच आदि में लगने वाले परिश्रम का संबंध है हमने 18,000 तक की सीमा के संबंध में अनावश्यक जांच कार्य बंद कर दिया है। उनको वैसे ही स्वीकार कर लिया जायेगा। जहां तक सिद्धान्त की बात है, हमने 6,000 रुपये तक छूट दे दी है वेतन भोगी व्यक्तियों की भविष्य निधि की राशि पर कर छूट दी गई है। यदि आप इन सब बातों को ध्यान में रखें तो यह छूट सीमा 7,500 रुपये तक आयेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 39 मतदान के लिए रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय : मैं आपक संशोधन संख्या 40 से 47 मतदान के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 40 से 47 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 40 to 47 were put and negatived.

सभापति महोदय : मैं श्री एस० एम० बनर्जी का संशोधन संख्या 39 सभा में मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 36, पंक्ति 23—Rs. 6000 (6,000 रुपये) शब्दों के स्थान पर Rs. 10,000 (10,000 रुपये) शब्द रख दिये गयें ;

[संख्या 39]

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

पक्ष में	विपक्ष में
Ayes	Neos
9	130

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

सभापति महोदय : अब मैं अन्य संशोधन संख्या 73 से 79, 92 से 96, 117, 119 से 123, 126 से 129 और 131 सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 73 से 79, 92 से 96, 117, 119 से 123, 126 से 129 और 131 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos. 73 to 77, 92 to 96, 117, 119 to 123, 126 to 129 and 131 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि "प्रथम अनुसूची विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

प्रथम अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी ।

The first Schedule was added to the Bill.

द्वितीय अनुसूची

The Second Schedule

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं संशोधन संख्या 48,49, 50,51, 52, 53, 54, 55, और 56, प्रस्तुत करता हूं ।

अपने संशोधन संख्या 51 द्वारा मैंने पृष्ठ 47, पंक्ति 33 में 75% के स्थान पर 95% रखने का सुझाव दिया है। संशोधन संख्या 52 में 'मूल्यानुसार 10%' के स्थान पर मूल्यानुसार 5% रखने का सुझाव दिया है। संशोधन संख्या 54 में 40% के स्थान पर 75% रखने का सुझाव दिया है ।

संशोधन संख्या 55 द्वारा मैंने 18 से 22 तक की पंक्तियों को हटा देने का सुझाव दिया है। हम सभा में मांग करते रहें हैं कि विदेशी कम्पनियों को सरकार अपने हाथ में ले इससे प्राप्त होने वाला लाभ देश में रहेगा। उदाहरणार्थ, कालगेट कम्पनी एक करोड़, रुपये का वार्षिक लाभ कमा रही है। यह लाभ भारतीय निर्माता कमा सकते हैं।

मैंने यह संशोधन राजनीतिक दृष्टि से नहीं रखे है अपितु संबन्धी संस्थाओं के व्यक्तियों से प्राप्त हुए तथ्यों को उनमें समाविष्ट किया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : मैं अपने संशोधन संख्या 81, 82, 83 और 97 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मधु दंडवते (राजापुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 140, 141 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Atal Behari Vajpayee : If the price of Colgate Tooth Paste is raised we have no objection, but if the cost of Vajardanti Tooth Paste is raised it may not be able to stand in competition. The hon. Minister should consider concessions for companies manufacturing 100% Indian Tooth Paste.

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मुझे पता नहीं कि हमारे वित्त मंत्री टेप रिकार्डों के प्रति इतने विमुख क्यों हैं। उनका उपयोग अब गांवों में भी होने लगा है मुझे आशा है कि वह उन पर 350 रुपये के स्थान पर 100 रुपये कर लगाने के मेरे सुझाव को स्वीकार कर लेंगे।

Shri Y. B. Chavan : I have noted what Shri Vajpayee has said.

सभापति महोदय : मैं श्री बनर्जी के संशोधन संख्या 48 से 56 मतदान के लिये रखता हूं

संशोधन मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : अब मैं श्री बाजपेयी के संशोधन संख्या 81 से 83 मतदान के लिये रखता हूं।

उपरोक्त संशोधन मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The above amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

The Second Schedule was added to the Bill.

तीसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

The Third Schedule was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का शीर्षक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 1, अधिनियमन सूत्र विधेयक का शीर्षक विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

श्री श्यामनंदन मिश्र (बेगूसराय) : वित्त मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर से हमें पूरी तरह असंतोष है । उन्होंने मूल्य घटाने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया है । वास्तव में बजट प्रस्तुत किये जाने से मूल्य बढ़े हैं । दिल्ली उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । मूल्य वृद्धि की दर वित्त मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन से बहुत अधिक है ।

बजट से घाटे की अर्थ-व्यवस्था में बढ़ावा स्पष्ट दिखाई देता है । वित्त मंत्री ने कुछ समय पूर्व बताया था कि पिछले वर्ष के बजट में दिखाये गये घाटे का केवल 60 प्रतिशत ही वास्तविक रूप में घाटा हुआ था ।

अति धनी वर्ग को दी गई रियायतों का औचित्य वित्त मंत्री सिद्ध नहीं कर पाये हैं ।

वित्त मंत्रालय ने आमदनी के पुन: वितरण के बारे में कोई नीति नहीं बनाई । सरकार के समाजवाद आदि के सभी दावे व्यर्थ सिद्ध हुए हैं ।

सामान्य व्यक्ति को न तो कोई राहत दी गई है और न ऐसी राहत देने के लिये किसी समिति के गठित करने का ही आश्वासन दिया गया है ।

उन्होंने प्रत्यक्ष-कर के प्रभावों का पता लगाने के लिये अनेक समितियां नियुक्त की ह परन्तु वह उत्पाद-शुल्क के प्रभावों की जांच करने के लिये एकसमिति नियुक्त करना स्वीकार नहीं कर रहे हैं जब कि उत्पाद-शुल्क बढ़ते ही जा रहे हैं । हमने यह भी सिद्ध कर दिया है कि अपेक्षित परिव्यय तथा निवेश और समाज के सर्वोच्च 10 प्रतिशत उपभोग में कमी करने के सम्बन्ध में योजना क अनुरुप उपाय नहीं किये गये हैं ।

श्री डी. एन. तिवारी (गोपालगंज) : उन्होंने सिद्ध नहीं किया बल्कि केवल कहा है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैंने यह सिद्ध किया है कि इस वर्ष का परिव्यय चौथी योजना के अन्तिम वर्ष के समान ही है । क्या निवेश के बारे में कोई प्रगति हुई है ? कोई भी तो नहीं । फिर योजनाहीन अवधि चल ही रही है । इससे मेरी उपरोक्त बात सिद्ध नहीं हो जाती है ? योजना के विरुद्ध यह भी बात है कि योजना आयोग के परामर्श के विपरीत घाटे की बजट-व्यवस्था की जा रही है । योजना आयोग तो सभी पहलुओं पर विचार करके ही अपना परामर्श देता है । यदि उसका परामर्श नहीं मानना है तो उसे समाप्त कर दीजिये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Where has been the planing Mishra ji ? It ended soon after you relinquished Planing Commission.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : गत नौ वर्षों से कोई योजना नहीं है और योजना भवन का केवल पक्का भवन खड़ा है । वहां आयोजन नहीं हो रहा है । फिर भी हम तो देश में आयोजन के लिये लड़ते ही रहेंगे अथवा देश में लोकतांत्रिक सामाजिक उन्नति न हो सकेगी ।

अतः ये उपाय, जो आपने किये हैं उनकी देश की समस्याओं से कोई संगति नहीं है। आवश्यकता तो केवल सेना, सीमा सुरक्षा बल केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस से ही है। ये आर्थिक नीतियां आज देश के उपयोग की नहीं रही हैं।

सभापति महोदय : तीसरे वाचन के समय आप इन सब बातों को मत दोहराइये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं दोहरा नहीं रहा हूं। आज तो सरकार सेना, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस और प्रादेशिक सेना को ही अपनी कार्यवाही का माध्यम बना रही है। बिहार में सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस ने इतने और ऐसे अत्याचार किये हैं कि आप लोग यहां सभा में उस की कल्पना भी नहीं कर सकते।

अतः मेरा कहना है कि बिहार की स्थिति को संभालने का एक मात्र उपाय वहां के लोगों की मांगों को स्वीकार कर लेना ही है। इसमें संदेह नहीं है कि वहां के लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कि शांति को भंग करने वाला या हिंसापूर्ण हो। इसलिये हमें लगता है कि आन्दोलन सफल हो जायेगा। परन्तु मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह बिहार की आर्थिक समस्याओं को समझे। वहां गुजरात से भी कहीं अधिक ग़रीबी है। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि वहां समस्या बहुत ही गम्भीर हो जायेगी।

मैं इस वित्त विधेयक का पूरी तरह विरोध करता हूं क्योंकि मेरे विचार से इससे देश में या देश के किसी भाग में खराब होती हुई स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। सरकार को इसकी ओर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिये।

Shri Ram Avtar Shastri (Patna) : A Financial Bill always reflects the intentions of a Government but this Finance Bill does not indicate that the Government want to arrest the price-rise, eradicate corruption and curb the devil like growth of unemployment. They are talking of socialism and removing of poverty but for the last 27 years they have been following a policy to form a capitalistic society in India and consquently the country is going from bad to worse. There is serious discontentment among the masses, people are dying of starvation and they are tightly gripped in the clutches of corruption. The present Bill is meant to strengthen the already strong and prosperous people by way of exempting them from certaintaxes. On the other hand for the poor masses the cost of a post card generally used by the poor people has been increased.

In these circumstances, this Government cannot check the advancement of the reactionary and fascist forces, because of its own fiscal policies.

The students in Bihar started an agitation against corruption price-rise and unemployment because the people of Bihar are very much aggrieved of all these evils. But gradually the reactionary and fascist forces have found and are still finding place in that agitation. They, instead of putting stress on eradication of corruption, unemplayment and check on price rise. They are asking for the dissolution of the State Assembly. They are shouting slogans for the dissolution of Lok Sabha and thus they are reducing the entire democratic set up to ransom. The result is that the people are now joining

two different camps—one which meant to protect the democracy and the other which is determined to hurt it. But the Government and their policies are exlcusively responsible for all that.

The only way to check these reactonary and fascist forces from raising their heads is that the Government should put a heavy hand on the foodgrain traders, profiteers and 75 monopoly houses, should solve the unemployment problem, reform the education system and fight out casteism and communalism which are damaging the image and integrity of our nation. It is only then the Government can control the advancement of the reactionary and fascist elements.

There is alround shortage of drinking water in Bihar. The summer season has set in and people there are facing acute shortage of drinking water, both in urban as well as urnal areas, the Goverament, at last this year, should take a serious note of it and make efforts so that the people may get adequate supply of drinking water. They are not getting foodgrains in adequate quantity and that is why they are agitating.

Arthur Butler a wagon manufacturing company has been lying closed for the last 26 months and 15 of its labourers have died because of being unemployed. The Govt. have taken over this company but they have not yet re-started it. I therefore appeal that this company be reopened and re-started forthwith so that the starving labourers could be saved and the shortage of wages is also made good.

श्री पी० वेंकटासुब्बैया (नन्दपाल) : वित्त मंत्री महोदय ने शासक दल द्वारा जनता को दिये गये वचनों के अनुरुप ही अपने वित विधेयक में कराधान-नीति बनाने का भरसक प्रयत्न किया है परन्तु मंत्री महोदय उनकी सही क्रियान्विति का सुनिश्चय करने के लिये सावधान रहें। क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के भी बार बार प्रयास किये गये परन्तु फल कुछ नहीं निकला। आन्ध्र प्रदेश में, आन्दोलन का कारण यही है कि सरकार न वहां असन्तुलन तथा पिछड़े-पन को दूर करने हेतु पर्याप्त सहायता देने का वचन दे कर भी इस बजट में तो कुछ नहीं किया है। केन्द्रीय सरकार को उचित वित्तीय सहायता देनी ही चाहिये।

कृषि उत्पादन की गति को तेज न करने के कारण ही हमारे देश को मुद्रा स्फीति और श्रमिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। 27 वर्ष की स्वाधीनता के बाद भी हम आत्मनिर्भर नही हो सके और हमें गेहूं भी आयात करना पड़ता है। हालांकि सोवियत संघ जैसे तथा कितने ही अन्य देश अनाज का आयात करते हैं परन्तु हमारे देश में तो इतनी उर्वरा भूमि है कि हम, यदि उत्पादन बढ़ायें तो आयात करने से बच सकते हैं। परन्तु हमारे यहां तो आज से 20 वर्ष पूर्व बनाई गई योजनायें आज तक पूरी नहीं हो सकी। राज्य सरकारों ने बड़े उत्साह से सिंचाई योजनायें तथा विद्युत परियोजनायें आरम्भ की परन्तु वे योजनायें पूरी न हो सकीं। एक बार तो योजना आयोग ने कहा कि इन परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता से ही पूरा कर लिया जाये। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इन योजनाओं को पूरा करायें ताकि उत्पादन भी बढ़े और बिजली का भी खूब उत्पादन हो।

74-M J(D)3LSS—5

आज किसान उपयुक्त सुविधायें न मिलने पर भी एक देश भक्त की तरह अधिकतम उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहा है परन्तु उसे उचित प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। सरकार को चाहिये कि वह उर्वरक का आयात करके किसान को उपलब्ध कराये। पानी और उर्वरक उपलब्ध हो जाने पर किसान बहुत थोड़े समय में देश की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य पर पहुंच जायेगा। देश में बिजली कीब हुत कमी है। सरकार को चहिये कि वह देश के उद्योगों को तथा कृषि उत्पादन को संकट से बचाने के लिये विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करे।

अब हमने रुई का आयात करना बन्द कर दिया है और विदेशी मुद्रा बचा रहे हैं। किसानो ने लम्बे रेशे वाली रुई का उत्पादन आरम्भ कर दिया है। परन्तु आप उन्हें रुई का उचित मूल्य नहीं दे रहे हैं बल्कि विदेशों को दिये जाने वाले मूल्य का 50 प्रतिशत ही मूल्य दे रहे हैं। किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई नीति तैयार की जानी चाहिये।

हैदराबाद में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का वचन दिया गया था। उसको नहीं पूरा किया गया। कहीं ऐसा न हो कि आन्ध्र प्रदेश के लोगों में इस बात को लेकर कोई भ्रम अथवा असन्तोष पैदा हो जाये। साथ ही पिछले क्षेत्रों को भी यथा संभव शीघ्र सहायता दी जानी चाहिये।

मैं इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : सभापति महोदय, मेरे दो सुझाव हैं। एक तो यह कि अधिकांश लोक तंत्रवादी देशों में जहां हमारे देश जैसी शासन प्रणाली है वित्त विधेयक सभा में दिये गये विभिन्न सुझावों को दृष्टि में रखकर तैयार तथा पेश किया जाता है। यहां भी माननीय सदस्यों के रचनात्मक सुझावों पर पूरी तरह ध्यान दिया जाना चाहिये और विधेयक तैयार करते समय उनका यथा संभव लाभ उठाया जाना चाहिये अन्यथा तो बजट पर चर्चा करने का कोई ध्येय ही नहीं रह जाता। ब्रिटेन की हाउस आंफ कामन्स्, जो कि संसदों की जननी माना जाता है में भी वित्त विधेयक के समय भी, बहुत से विचारों को स्वीकार कर लिया जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे मंत्री महोदय ने अपराध प्रक्रिया संहिता विधेयक के समय बड़ी फिराख दिली के साथ बहुत से संशोधनों को स्वीकार कर लिया था। मैं मानता हूं कि यह विधेयक उस तरह के विधेयकों से भिन्न है तो भी इतना बड़ा बजट सत्र चलता है उसमें असंख्य सुझाव तथा संशोधन पेश किये जाते हैं सरकार को चाहिये कि वह उन पर भी पूरी तरह ध्यान देकर उनके लाभान्वित होने का प्रयास करे। यदि इस समय नहीं तो कम से कम अगले वर्ष तो मंत्री महोदय इस बात का ध्यान रखें।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि घाटे की बजट व्यवस्था करते समय वित्त मंत्री महोदय को अत्याधिक आशावादी नहीं होना चाहिये। घाटे की बजट व्यवस्था पद्धति योजना के 333 करोड़ से बढ़कर चौथी योजना के चौथे वर्ष में 2,000 करोड़ तक पहुंच गई। इसी प्रकार गत बजट में भी मंत्री महोदय ने 87 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान किया था परन्तु वस्तुतः वह सात-आठ गुना बढ़ गया। अतः मंत्री महोदय को अत्याधिक आशावादी नहीं होना चाहिये।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को भी शामिल करना है और घाटा बढ़ेगा। अन्यथा तो घाटा 85 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : लेकिन वित्त मंत्री ने मुझे बताया था कि चौथी योजना के प्रथम चार वर्षों का 1500 करोड़ रुपये का घाटा बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है परन्तु यह घाटा 2,000 करोड़ रुपये से भी अधिक पाया गया ।

खैर मैं तो अन्त में फिर कहूंगा कि कम से कम भविष्य में तो वित्त विधेयक संबंधी चर्चा तथा वाद-विवाद को पूरा महत्व दिया जाना चाहिये और उसके दौरान दिये गये सुझावो आदि को मान्यता एवं महत्व दिया जाना चाहिये । क्योकि यहां सभा में समाज के प्राय: हर क्षेत्र के प्रतिनिधि आपके सम्मुख पेश होते हैं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : It is certain that the present budget proposals would lead to increase in inflation and price-rise and the life of a common man would be more miserable. Is it not time that as a result of our Goberument's fiscal policies the already ignored people are being ignored more and the poor are becoming poorer. On the other hard the luxury sector is flourishing where as our public sector is continuously running in loss. Essential commodities are disappearing from the markets and the luxuries are available in plenty.

Shri Venkata Subhaiah has said that we have stopped importing long staple cotton. Is it true we have imported long staple cotton worth Rs. 600 crores by now. It is very difficult to get coarse long cloth in the market; however. Terelyne and nylon cloth is available every where. Luxuries like Rajdhani Express, Maruti cars Television and such things are available but not that what is required most and primarily in our day-to-day life.

Sir, now it is high time that we have to change our living structures. Disparities should be removed and manufacture of luxury goods should be curbed.

We know that this Finance Bill will be passed here and this session would soon conclude. But we should not ignore the challange of the present economic crisis. I agree with the Finance Minister that we should face the things boldly, but I ask him not to take the situation lightly. Increasing demands and frustrations do not only endanger the political stability but may pose a threat events to democratic values. The Prime Minister should therefore, strive to find out and implement measures to increase production and arrange for its proper distribution among the common man. Otherwise the optimism of the Government could lead them to complete darkness.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : पहले तो मैं वित्त मंत्री तथा इनके सहयोगियों को यह अन्तिम सलाह दूंगा कि वे अपने पिछले हथकण्डो को छोड़ दें, खोखली बहादुराना, शब्द-बाजी छोड़ दें, तथा देश की समस्याओं के प्रति रुचि तथा इन्हें सही ढंग से हल करने की जिज्ञासा अपने अन्दर पैदा करें। शिवाजी के समान बहादुरी दिखाने की नीयत छोड़ दीजिये । आपकी अब तक की प्रगति जीरो रही है । मेरा मतलब यह नहीं है कि अब तक सरकार ने कुछ किया ही नहीं है । अब तक आपने जब 50,000 करोड़ रुपया खर्च किया है तो कुछ न कुछ तो किया ही होगा । परन्तु अब कृपया स्थिति को समझने के लियें ईमानदारी से प्रयास कीजिये और फिर उसी ईमानदारी से उपयुक्त नीतियां बनाईये । यदि आप किसी नीति को बदलना चाहते ह तो स्वीकार कर लीजिये कि आपसे कोई भूल हुई है और अब

आप उसे ठीक करना चाहते हैं। सब से अच्छा तो यह होता कि आप साफ़ साफ़ कहते कि अब तक आप देश के लोगों को गुमराह करते रहे हैं। परन्तु अब आगे नहीं करना चाहते। परन्तु आप यह कहना नहीं चाहते और अपनी जिद्द पर अड़े हैं।

आप कहते हैं कि आप गुटनिर्पेक्ष हैं परन्तु आप फिर भी गुट निर्पेक्ष नहीं हैं। आप कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर हैं, परन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है यह क्या वकवास है? आप आत्मनिर्भरता का झूठा और भद्दा नारा लगाते हैं यही नारा देश के लिये घातक सिद्ध हो रहा है।

अतः मेरा सुझाव यह है कि आप अपने वक्तव्यो की वास्तविकता के धरातल पर लाईये। भारतीय शब्दो को भारतीय क्रिया के अर्थों में बोलिये।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatara) : There has been a very long debate on this Bill and enough has been said about the principles and practicability of the policies involved by the noted scholars and economists here. I have to submit that the capital has been centralised in the four big cities of India, viz. Bombay, Calcutta, Delhi and Madras. There may be a few big cities more. But the rural people are still in rags and suffering a wretched life of grave poverty. Whenever some villager happens to visit cities and there sees multi storey buildings he fails to believe that he is in India. A number of suggestions have been made to remove these disparities but there has been no implementation.

I would suggest in this context that there should be no difference between principles, policies and the practice. The display of riches and superfluous prosperity should be curbed and a ceiling on wealth and property should be imposed.

I agree that the printing of currency notes will not bring in parity, but we will have to take certain practical measures to come out of this economic crisis.

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं विस्तार में तो नही जाऊंगा परन्तु उन तीन चार महत्वपूर्ण बातों के बारे में जरूर कुछ कहना चाहूंगा जो कि इस तीसरे वाचन के समय उठाई गई हैं।

असमानता के मामले में मैं श्री वैंकटा सुब्बया और श्री शंकर दयाल जी से सहमत हूं (**व्यवधान**) मैं यह बताना चाहूंगा कि हमने देश में असमानता दूर करने के लिये पांचवी योजना के अन्तर्गत क्या कदम उठाये हैं। इस संदर्भ में विशेष प्राथमिकता पिछड़े क्षेत्रों के विकास को दी गई है वहां कि समस्याओं को हल करने की ओर दी गई है। वहां अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओ को प्राथमिकता दी गई है। इस के लिये लगभग 50 कमांड क्षेत्र निश्चित किये गये हैं और उनके कार्यों की देखभाल के लिये राज्य प्राधिकरण गठित किये गये हैं। इस ही आदिवासी क्षेत्र के लिये उप-योजनायें बनाने के लिये राज्यों को कहा गया है। हम उनके औद्योगिक विकास के लिये प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रो पश्चिमीघाटों आदि की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दिया गया है तथा 15 प्रतिशत

राज सहायता देने के लिये लगभग 100 जिलों का चुनाव किया गया है। इसके अतिरिक्त भी अन्य उपाय किये गये हैं जो यदि पूरी तरह क्रियान्वित हो सके तो पांचवीं योजना के अन्त तक वहां का असंतुलन समाप्त ही हो जायेगा ।

श्री मधु दण्डवते ने कहा है कि किसी भी संशोधन पर विचार नहीं किया गया। परन्तु विधेयक प्रस्तुत करते समय हमने माननीय सदस्यों की बातों पर खूब ध्यान दिया था और फलस्वरुप मैंने स्वंय प्रत्यक्ष करो के बारे में कुछ संशोधन पैदा किये थे। इस समय तो मुझे इस विधेयक में कोई त्रुटिया नज़र नहीं आ रही है। श्री दण्डवते यदि किसी प्रवर समिति में होते तो देखते कि हम कितने सहिष्णु भावना से काम करते हैं, बजट में घाटे की व्यवस्था को लेकर मैं स्वंय अत्याधिक आशा वादी नही होता हूं, बजट पेश करते समय मैंने कहा था कि कुछ वास्तविक आंकड़े दिये जो विधेयक पारित होने से पूर्व उपलब्ध थे। वास्तविक आंकड़े अब प्राप्त हो गए हैं। और मैंने वे बता दिये हैं। अत : मैं जल्दबाजी में कोई निर्णय नही करता हूं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं। 31 मार्च, 1973 से 25 जनवरी 1974 के बीच रिज़र्व बैंक ऋण की राशि 816 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी। फिर अब वह एक दम कैसे गायब हो गई अब केवल 50 प्रतिशत कम कैसे हो गई है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह बात घाटे की बजट व्यवस्था से अलग है और इस समय बजट में घाटा लगभग 300 करोड़ रुपये है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इस की प्रतिपूर्ति कैसे हुई ? ऋण तो समाप्त नहीं हो सकता ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : तभी तो कहता हूं कि हमें यह देखना है कि वास्तविक घाटा बजट में कितना है ।

हां तो मैं श्री दण्डवते तथा अन्य माननीय सदस्यों को बता रहा था कि मैं किसी भी चीज के बारे में अत्यधिक आशावादी तो नहीं हूं परन्तु यह भी सच है कि जो कदम हमने उठाये हैं उनके परिणाम निकल रहे हैं ।

श्री पीलू मोदी ने हमें ईमानदारी का उपदेश दिया है, जहां तक आत्मनिर्भरता की बात है उसका यह अर्थ तो नहीं है कि हम अन्य देशों से सहयोग लेना ही बन्द कर दें ।

श्री श्याम बाबू ने अप्र त्यक्ष करो के बारे में समितियां नियुक्त करने का सुझाव दिया, परोक्ष करो में अनेक उद्योग तथा गतिविधियों पर लगे कर शामिल हैं इसलिये इसकी जांच की सरल विधि नही है। गत 15 वर्षों में अनेक समितियों ने इस वारे में अध्ययन किया है। सीमा शुल्क के बारे में उप समिति श्री डी० एन० तिवारी की अध्यक्षता में भी वनी थी, और भी अनेक समितियां रही है ये समितियां परोक्ष करों की जांच के अतिरिक्त संबधित उद्योगो के कार्यकरण को भी देखती हैं। श्री वेंकटासुबैया की अध्यक्षता में बनी तम्बाकू समिति भी परोक्ष करों के बारे में जांच कर रही है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हम एक समेकित अध्ययन चाहते हैं ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह कार्य कोई एक समिति तो नहीं कर सकती, बस श्रीमन्, इतना ही कहना चाहता था ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

" कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

इस के पश्चात लोक-सभा मंगलवार 7 मई 1974/17 वैशाख 1896 शक के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, May 7,—1974/Vaishakh 17, 1896 (Saka).

M/J(D)3LSS—490—8-11-74—GIPS

PLS 48 XXXIX 50.74 (N)
490

© 1974 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक सभा के प्रक्रिया तक कार्य संचलन सम्बन्धी नियमों (दसवाँ संस्करण) क
नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक,
भारत सरकार मुद्रणालय, शिमला द्वारा मुद्रित ।

© 1974 By Lok Sabha Secretariat

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Proceeding and Conduct of Business in Lok Sabha (Tenth Edition) and Printed by the Manager, Government of India Press, Simla